49

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

'अनुदानों की मांगें (2022-23)'

{कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी (2021-22) के चालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई}

उनचासवां प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसम्बर, 2022 / अग्रहायण, 1944 (शक)

उनचासवां प्रतिवेदन

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

'अनुदानों की मांगें (2022-23)'

{कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी (2021-22) के चालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई}

20.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

20.12.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसम्बर, 2022 / अग्रहायण, 1944 (शक)

सीओए सं. 461

मूल्य: …….. रुपए

© 2022 लोक सभा सचिवालय द्वारा

लोक सभा सचिवालय द्वारा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित एवं मुद्रित।

विषय-वस्तु

पृष्ठ संख्या

समिति (2021-22) की संरचना..... (iii)

समिति (2022-23) की संरचना..... (v)

प्राक्कथन..... (vii)

अध्याय एक. प्रतिवेदन..... 1

अध्याय दो. टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है..... 24

अध्याय तीन. टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिन पर समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती..... 48

अध्याय चार. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है..... 49

अध्याय पांच. टिप्पणियां/ सिफारिशें , जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं 51

अनुबंध

दिनांक 15.11.2022 को हुई समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश..... 64

परिशिष्ट

कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के चालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण..... 67

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति* (2021-22) की संरचना

श्री पी. सी. गद्दीगौडर- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अफजाल अनसारी
3. श्री होरेन सिंह बे
4. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
5. श्री ए. गणेशमूर्ति
6. श्री कनकमल कटारा
7. श्री अबू ताहेर खान
8. श्री मोहन मंडावी
9. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
10. श्री देवजी पटेल
11. श्रीमती शारदा अनिल पटेल
12. श्री बी. बी. पाटील
13. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
14. श्री विनायक भाऊराव राऊत
15. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
16. श्री राजीव प्रताप रूडी
17. मोहम्मद सादिक
18. श्री वीरेन्द्र सिंह
19. श्री वी. के. श्रीकंदन
20. श्री मुलायम सिंह यादव
21. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

22. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
23. श्री कैलाश सोनी
24. श्री राम नाथ ठाकुर
25. श्री वाइको
26. श्री हरनाथ सिंह यादव
@27. रिक्त
@28. रिक्त
@29. रिक्त
30. रिक्त
31. रिक्त

---

* बुलेटिन भाग 2 पैरा संख्या 3293 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा कृषि संबंधी स्थायी समिति का नाम बदलकर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति कर दिया गया।

@ श्री प्रताप सिंह बाजवा, सांसद राज्य सभा दिनांक 21.03.2022 से राज्य सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे; सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा, सांसद राज्य सभा, 09.04.2022 से राज्यसभा से उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे और श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, सांसद राज्य सभा, 04.07.2022 से राज्यसभा से उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे।

सचिवालय

1.	श्री शिव कुमार	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री सुन्दर प्रसाद दस	-	निदेशक
3.	श्री प्रेम रंजन	-	उप सचिव
4.	सुश्री दिव्या राय	-	सहायक कार्यकारी अधिकारी

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति(2022-23)की संरचना

श्री पी. सी. गद्दीगौडर- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अफजाल अनसारी
3. श्री होरेन सिंह बे
4. श्री ए. गणेशमूर्ति
5. श्री कनकमल कटारा
6. श्री अबू ताहेर खान
7. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
8. श्री मोहन मण्डावी
9. श्री देवजी मनसिंहराम पटेल
10. श्रीमती शारदा अनिलकुमार पटेल
11. श्री भीमराव बसवंतराव पाटील
12. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
13. श्री विनायक भाऊराव राऊत
14. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
15. श्री राजीव प्रताप रूडी
16. मोहम्मद सादिक
17. श्री देवेन्द्र सिंह (ऊर्फ) भोले सिंह
18. श्री वीरेन्द्र सिंह
19. श्री वी. के. श्रीकंदन
20. श्री राम कृपाल यादव
*21. रिक्त

राज्य सभा

22. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
23. श्री मस्थान राव बीडा
24. डॉ. अनिल सुखदेवराओ बोंडे
25. श्री एस. कल्याणसुन्दरम
26. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
27. श्री कैलाश सोनी
28. श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला
29. श्री राम नाथ ठाकुर
30. श्री वाइको
31. श्री हरनाथ सिंह यादव

---

* दिनांक 14.10.2022 के बुलेटिन- भाग II, पैरा संख्या 5316 द्वारा 10.10.2022 को श्री मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण रिक्त ।

सचिवालय

1.	श्री शिव कुमार	-	अपर सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक
4.	श्री प्रेम रंजन	-	उप सचिव
5.	सुश्री दिव्या राय	–	सहायक कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के चालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी उनचासवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के चालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) को दिनांक 24.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। प्रतिवेदन से संबंधित की गई कार्रवाई टिप्पणियाँ दिनांक 24.06.2022 को प्राप्त हुईं।

3. प्रतिवेदन को समिति की 15.11.2022 को हुई बैठक में विचारोपरांत स्वीकार किया गया।

4. समिति के चालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण **परिशिष्ट** में दिया गया है।

नई दिल्ली;
06 दिसम्बर, 2022
15 अग्रहायण,1944(शक)

पी. सी. गद्दीगौडर
सभापति,
कृषि,पशुपालन और खाद्य
प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

अध्याय-एक

प्रतिवेदन

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के संबंध में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) के चालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में है, जिसे दिनांक 24.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था।

1.2 मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) ने प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 15 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत किए हैं। इन उत्तरों की संवीक्षा की गई है और इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

सिफारिश पैरा सं. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और 14

कुल 09

अध्याय-दो

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती:

सिफारिश पैरा सं. शून्य

कुल 00

अध्याय – तीन

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए है:

सिफारिश पैरा सं. 3

कुल 01

अध्याय – चार

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:

सिफारिश पैरा सं. 1, 2, 5, 7 और 15

कुल 05

अध्याय – पांच

1.3 समिति यह चाहती है कि सरकार द्वारा स्वीकृत टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन को मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाए। यदि विभाग के लिए किसी भी कारण से सिफारिशों को अक्षरशः कार्यान्वित करना संभव न हो तो मामले को कार्यान्वयन न किए जाने के कारणों सहित समिति को लिखित रूप में सूचित किया जाए। समिति यह चाहती है कि अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर आगे की गई कार्रवाई टिप्पणियां और इस प्रतिवेदन के अध्याय-पांच में अन्तर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में अंतिम की-गई-कार्रवाई उत्तर उसे अतिशीघ्र भेजे जाएं।

1.4 अब समिति उत्तरवर्ती पैराओं में कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी।

क. <u>बजटीय आबंटन के अनुपात की तुलना में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र का योगदान</u>

(सिफारिश सं. 1)

1.5 समिति ने निम्नवत् टिप्पणी/सिफारिश की थी**:-**

"समिति नोट करती है कि अर्थव्यवस्था में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र का योगदान **2014-15** और **2019-20** के बीच **8.15%** की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) पर बढ़ा है और संबद्ध क्षेत्र का योगदान कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास का एक प्रमुख वाहक रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि दूध, मांस और अंडे के कुल उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ वर्ष **2014-15** से **2020-21** तक इन वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में लगातार वृद्धि का दावा किया

गया है। समिति का मानना है कि समग्र विकास और उत्पादन में यह निरंतरता पशुपालन और डेयरी विभाग के लगातार प्रयासों का परिणाम है। महामारी की स्थिति के कारण हाल के वर्ष में अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की विकास दर में गिरावट को देखते हुए, समिति यह जानकर प्रसन्न है कि देश में पशुधन क्षेत्र ने **7.9%** की सकारात्मक विकास दर को बनाए रखा है। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र पर कोविड-**19** महामारी के प्रभाव को कम करने में विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए, समिति पाती है कि डेयरी क्षेत्र महामारी के कारण उत्पन्न संकट के बावजूद अपने विकास और उत्पादन में निरंतर बना हुआ है। हालांकि, समिति ऊन उत्पादन की ऋणात्मक विकास दर को नोट करके निराश है जिसने **2019-20** के दौरान **9.10%** ऋणात्मक वृद्धि दर्शाया है।

पशुपालन और डेयरी विभाग के लिए बजटीय आबंटन में वृद्धि, जो कि वर्ष **2021-22** में **3599.98** करोड़ रुपये से बढ कर वर्ष **2022-23** में **4288.84** करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो केंद्रीय परिव्यय का लगभग **0.11%** है, को ध्यान में रखते हुए, समिति यह भी पाती है कि हालांकि, मात्रात्मक रूप से, पिछले वर्ष की तुलना में आबंटन में **688.86** करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, लेकिन प्रतिशत के रूप में यह वृद्धि केवल **0.01%** है। इसके अतिरिक्त, हाल ही के रूझान के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र की तुलना में संबद्ध क्षेत्र की समग्र वृद्धि अधिक होने से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबद्ध क्षेत्र की निरंतरता और क्षमता न केवल किसानों की आय में वृद्धि कर रही है बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रही है। समिति को मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि सं.अ. स्तर पर कुल परिव्यय में विभाग का प्रतिशत हिस्सा **2019-20** में **0.12%** से घटकर **2020-21** में **0.09%** और **2021-22** में **0.08%** हो गया है। समिति सं.अ. स्तर पर आबंटन में कमी की इस प्रवृत्ति से चिंतित है और वह यह चाहती है कि विभाग **2022-23** के लिए सं.अ. स्तर पर विभाग के लिए आबंटन में वृद्धि करने के लिए वित्त मंत्रालय पर जोर दे। समिति विभाग से ऊन उत्पादन में समान वृद्धि सुनिश्चित करने की भी सिफारिश

करती है और चाहती है कि वे इस क्षेत्र के योगदान को ध्यान में रखते हुए विभाग को निधि आबंटन बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ कार्रवाई करने के लिए ठोस कदम उठाए। समिति को इस संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।"

1.6 अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में विभाग ने निम्नवत बताया:-

"भारतीय भेड़ की नस्ल के सजातीय प्रजनन के कारण ऊन उत्पादन के साथ-साथ ऊन की गुणवत्ता में कमी आ रही है। अच्छी ऊन का उत्पादन भी कम हो रहा है और भारत वस्त्र उद्योग के लिए अच्छी ऊन की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है। समस्या को हल करने के लिए, संकर नस्ल तैयार करने की आवश्यकता है जिससे अच्छी ऊन का उत्पादन होगा। नस्ल उन्नयन के लिए किसानों के बीच जर्मप्लाज्म का प्रचार करने के लिए विभाग ने जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को ऑस्ट्रेलिया से बहुउद्देशीय मेरिनो भेड़ के आयात की अनुमति दी है। चूंकि भेड़ उत्पादन ऊन उत्पादन बढ़ाने का एकमात्र तरीका है इसलिए विभाग ने अन्य राज्यों द्वारा विदेशी भेड़ के आयात का प्रावधान रखा है। इसके अतिरिक्त, विभाग राज्यों को ऊन पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा अन्य ऊन उत्पादक भेड़ के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जहां इस तरह की ऊन उत्पादक भेड़ों के पालन के लिए अनुकूल जलवायु है।

विभाग अलग-अलग व्यक्तियों, एफपीओ, एसएचजी, जेएलजी, एफसीओ, धारा 8 कंपनियों द्वारा बड़े ब्रीडर फार्म की स्थापना भी कर रहा है, जिसके लिए विभाग राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 50 लाख रुपये तक के लिए 50% की सब्सिडी प्रदान कर रहा है। यदि इस प्रकार के ब्रीडर फार्म स्थापित हो जाते हैं, तो देश में ऊन उत्पादन में वृद्धि होगी।

एनएलएम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त, अलग-अलग व्यक्ति, एफपीओ, एमएसएमई, निजी कंपनियां और धारा 8 कंपनियां भी एएचआईडीएफ के तहत आधुनिक तकनीकों के साथ भेड़ फार्म की स्थापना हेतु लाभ उठा सकती हैं, जिसके लिए विभाग 3% ब्याज राजसहायता

प्रदान कर रहा है। कपड़ा मंत्रालय देश में ऊन उत्पादकों को ऊन के लिए विपणन और प्रसंस्करण सहायता भी प्रदान कर रहा है।

उपरोक्त सभी समन्वित तरीकों से देश में ऊन उत्पादन में वृद्धि होगी।

देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विभाग, विभाग के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने हेतु मामले को माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री तथा सचिव, एएचडी के स्तर पर वित्त मंत्रालय के साथ गंभीरता से और लगातार उठा रहा है।

1.7 महामारी की स्थिति के बावजूद पशुधन क्षेत्र में 7.9% की धनात्मक वृद्धि दर की सराहना करते हुए, समिति ने वर्ष 2019-20 के दौरान ऊन उत्पादन में गिरावट और वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक संशोधित अनुमान स्तर पर विभाग के लिए आवंटन के लगातार घटते प्रतिशत पर चिंता व्यक्त की थी। समिति ने विभाग से ऊन उत्पादन में समान वृद्धि सुनिश्चित करने और पशुधन क्षेत्र के योगदान के अनुरूप विभाग के लिए निधि आवंटन को बढ़ाने हेतु वित्त मंत्रालय के साथ कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। अपने की गई कार्रवाई उत्तर में विभाग ने बताया कि भारतीय भेड़ों के सजातीय प्रजनन से ऊन की गुणवत्ता और उत्पादन में गिरावट आई है और विभाग ऊन के लिए विपणन और प्रसंस्करण सहायता प्रदान करने के लिए वस्त्र मंत्रालय के साथ समन्वय करने के अलावा, आयातित भेड़ों के जर्मप्लाज्म के माध्यम से नस्ल उन्नयन पर काम कर रहा है, जबकि राज्यों को अच्छी ऊन उत्पादक भेड़ों के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। केन्द्रीय परिव्यय में विभाग के प्रतिशत हिस्से को स.आ. स्तर पर चरण में वर्ष 2019-20 से 2021-22 में घटाकर 008% करने के संबंध में, विभाग ने बताया है कि वह वृद्धित बजटीय आवंटन के मामले को माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री और सचिव स्तर पर वित्त मंत्रालय के साथ गंभीरता से और लगातार उठा रहा है। तथापि, समिति विभाग के इस उत्तर से असंतुष्ट है और समिति यह पाती है कि विभाग द्वारा उच्चतम स्तर पर

किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय परिव्यय में विभाग के प्रतिशत हिस्से में कमी के रूझान में परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः, समिति यह चाहती है कि उसे इस संबंध में वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए।

ख. <u>मांगों का विश्लेषण</u>

(सिफारिश सं. 2)

1.8 समिति ने निम्नवत् टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति ने पाया कि सं.अ. **2021-22** की तुलना में ब.अ. **2022-23** में बजटीय आबंटन में **40.4%** की वृद्धि हुई है। समिति, वर्ष **2022-23** के दौरान ब.अ. आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की सराहना करते हुए समिति वर्ष **2020-21** से **2022-23** तक विभाग के प्रस्तावित आबंटनों में उत्तरोत्तर गिरावट को नोट करके अप्रसन्न है जो बजटीय आबंटन बढ़ाने के लिए विभाग की निरंतर मांग के विपरीत है। समिति वर्ष **2019-20** के बाद से ब.अ. की तुलना में सं.अ. स्तर पर अत्यधिक कटौती की निरंतर प्रवृत्ति से भी चिंतित है। समिति इस बात से अप्रसन्न है कि सं.अ. स्तर पर आबंटनों में इस प्रकार की कटौती के कारण संसाधनों की कमी के कारण विभाग के वास्तविक लक्ष्यों में संशोधन हुआ है। हितधारकों के साथ परामर्श और योजना आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद विधिवत नियोजित और तर्कसंगत बजट प्रस्ताव तैयार करने के बावजूद, विभाग को **2019-20** से **2021-22** तक सभी वर्षों के लिए ब.अ. और सं.अ. स्तर पर दोनों में लगातार भारी बजट कटौती का सामना करना पड़ा है। इसी प्रकार, वर्ष **2022-23** के लिए **5590.11** करोड़ रुपये के प्रस्तावित आबंटन को ब.अ. स्तर पर घटाकर **4288.84** करोड़ रुपये कर दिया गया है। मौखिक साक्ष्य के दौरान विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को बताया कि **2021-22** के लिए सं.अ. स्तर पर आबंटन का पूरी तरह से उपयोग किए जाने की उम्मीद है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बजट में भारी कटौती के कारण विभाग की योजनाओं के वास्तविक लक्ष्यों

में संशोधन किया गया है, समिति यह महसूस करती है कि सं.अ. स्तर पर में कटौती की प्रवृत्ति को कम करने की आवश्यकता है ताकि निधियों के अभाव में विभाग का कार्य-निष्पादन प्रभावित न हो। अत: समिति सरकार से सिफारिश करती है कि वह सं.अ. स्तर पर, विशेष रूप से वर्ष **2022-23** के लिए आबंटन करने से पहले अपनी कार्यनीति का पुन: आत्मनिरीक्षण करे और इस स्तर पर बजटीय आबंटन में कटौती करने से बचे। समिति विभाग को **2022-23** के पहले भाग में अपने कार्यनिष्पादन में सुधार करने और सं.अ. स्तर पर में भारी कटौती से बचने के लिए बजटीय आबंटन के लिए यथार्थवादी प्रस्ताव प्रदान करने की भी सिफारिश करती है।

1.9 अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में विभाग ने निम्नवत बताया:-

"समिति की सिफारिश को कड़ाई से अनुपालन हेतु नोट किया गया है। विभाग के लिए बजट आवंटन बढ़ाने के मामले के संबंध में विभाग लगातार वित्त मंत्रालय से संपर्क कर रहा है ताकि वह वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने और विभाग की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी सक्षम हो सके। हालांकि, वित्त मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धी मांगों के बीच, आवंटन के लिए समग्र संसाधनों की स्थिति और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विभागों/मंत्रालयों को निधि आवंटित करता है।

विभाग आवंटित निधि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और स.अ. स्तर पर भारी कटौती से बचने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के पहले भाग में अपने कार्यनिष्पादन में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। इस मामले को स.अ. स्तर पर फिर से वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा।"

1.10 वर्ष 2019-20 से स.अ. स्तर पर आवंटन में कमी, जिससे विभाग की योजनाओं के वास्तविक लक्ष्यों को संशोधित करके कम किया गया, पर असंतोष व्यक्त करते हुए, समिति ने स.अ. स्तर पर कटौती से बचने के लिए सरकार से अपनी कार्यनीति का पुन आत्मनिरीक्षण करने और अपने कार्यनिष्पादन में सुधार के अतिरिक्त यथार्थवादी प्रस्ताव भेजने की सिफारिश की थी।

विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया है कि वह बजट आवंटन बढ़ाने के मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ लगातार कार्रवाई कर रहा है और स.अ. स्तर पर आवंटन में भारी कटौती से बचने के लिए अपने कार्यनिष्पादन में सुधार करने का प्रयास किया है। तथापि, विभाग के उत्तर को ध्यान में रखते हुए समिति यह जानना चाहती है कि क्या विभाग ने इस मामले में वित्त मंत्रालय को कोई पत्र भेजा था और इस पर वित्त मंत्रालय का क्या उत्तर था।

ग. <u>निधियों का उपयोग और लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र</u>

(सिफारिश सं. 3)

1.11 समिति ने निम्नवत् टिप्पणी/सिफारिश की थी :-

"हालांकि, 2019-20 से 2021-22 तक ब.अ. के संबंध में निधियों का प्रतिशत उपयोग पर्याप्त प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी समिति 2016-17 से 2019-20 तक विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 617.90 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि की अत्यधिक मात्रा को जानकर चिंतित है। समिति यह महसूस करती है कि मांग आधारित होने के बावजूद, विभाग की योजनाओं का राज्य-वार कार्यनिष्पादन असंगत बना हुआ है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में राशि अप्रयुक्त रह जाती है। इसके अतिरिक्त, बजटीय आबंटनों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौजूदा निगरानी तंत्र और योजना कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने को ध्यान में रखते हुए समिति का मानना है कि विभाग की ओर से इस तरह के ईमानदार उपायों के बावजूद अत्यधिक अव्ययित शेष राशि निश्चित रूप से दृष्टिकोण में खामियों की ओर इशारा करती है। योजनाओं के बुनियादी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जन प्रतिनिधियों (संसद सदस्यों, विधायकों) और स्थानीय स्व-शासन

आदि को शामिल करने के लिए विस्तार और क्षमता निर्माण की पहलों के संबंध में विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति का मानना है कि अनुवर्ती तंत्र के स्तर पर कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। अतः, समिति विभाग से यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की सिफारिश करती है कि योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मौजूदा उपायों को त्रुटिरहित बनाया जाए जिससे राज्यों के पास भारी मात्रा में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के लम्बित रहने के मामले में वांछित परिणाम प्राप्त हो सकें। समिति यह चाहती है कि उसे इस संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

1.12 अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में विभाग ने निम्नवत बताया:-

"समिति की सिफारिश को कड़ाई से अनुपालन हेतु नोट किया गया है। विभाग आवंटित निधि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों को राष्ट्रीय समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय दौरों और वीडियो सम्मेलनों के माध्यम से लगातार याद दिलाया जा रहा है कि लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को शीघ्र प्रस्तुत करें और साथ ही निधि जारी करने के लिए भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए ताकि विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।"

1.13 2016-17 और 2019-20 के बीच विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 617.90 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त राशि तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर निधि के उपयोग में तेजी लाने में विभाग की असमर्थता पर चिंता व्यक्त करते हुए, समिति ने विभाग को अनुवर्ती तंत्र के स्तर पर खामियों को दूर करने और उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अत्यधिक लंबित होने के संबंध में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की सिफारिश की थी। अपने की गई कार्रवाई उत्तर में विभाग ने बताया कि विभाग राष्ट्रीय समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय दौरों और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम

से राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों को लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने और निधि जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लगातार याद दिलाता रहा है ताकि विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत वांछित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। तथापि, समिति विभाग के उत्तर से निराश है और यह जानकर व्यथित है कि विभाग ने वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने और उनके लंबिता की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया और इसके बजाय केवल समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्षेत्रीय दौरों आदि जैसे कार्यों से प्राप्त किसी भी तरह के परिणाम बताए बिना पहले से मालूम कार्यवाही का हवाला दिया है। अतः, समिति दोहराती है कि विभाग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करे और समिति यह भी चाहती है कि विभाग अब तक प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्रों के बारे में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा प्रदान करे।

घ. <u>क्षेत्र-वार विश्लेषण</u>

(सिफारिश सं. 5)

1.14 समिति ने निम्नवत् टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि विभाग के योजना क्षेत्रों के लिए 2022-23 के लिए बजटीय आबंटन में वृद्धि हुई है, जबकि गैर-योजना शीर्ष में छोटे पशुधन संस्थानों और दिल्ली दुग्ध योजना के लिए आबंटन पिछले वर्ष की तुलना में कम कर दिया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि योजना शीर्ष में पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के क्षेत्रों के लिए आबंटनों में विकास कार्यक्रमों और अवसंरचना विकास निधियों के क्षेत्रों की तुलना में अधिकतम 36.05% की वृद्धि देखी गई है। हालांकि, समिति बढ़े हुए आबंटनों के उपयोग के संबंध में विभाग की योजना पर संतोष व्यक्त करती है लेकिन वह दूध की बिक्री 1.90 एलएलपीडी (लाख लीटर

प्रति दिन) से घटकर 1.5 एलएलपीडी (लाख लीटर प्रति दिन) होने के संबंध में दिल्ली दुग्ध योजना के खराब कार्यनिष्पादन को नोट करके क्षुब्ध है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तिजो कि वर्ष 2020-21 में 350.16 करोड़ रुपये थी, वर्ष 2021-22 में घटकर 304.00 करोड़ रुपये तक रह गई है। समिति डीएमएस के उपभोक्ता आधार पर डीएमएस प्रचालनों को बंद करने और बिहार दुग्ध परिसंघ से दूध की आपूर्ति के संबंध में प्रस्तावित नीति परिवर्तन के प्रभाव को नोट करके और भी क्षुब्ध है। डीएमएस के संबंध में इन घटनाओं को देखते हुए समिति विभाग को वर्ष 2022-23 के दौरान दूध बिक्री लक्ष्य को 1.8 एलएलपीडी तक बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने के साथ-साथ विपणन नेटवर्क का विस्तार करने और कवर किए गए क्षेत्रों में दूध वितरकों की नियुक्ति के लक्ष्य को और तेज़ी से आगे बढ़ाने की सिफारिश करती है। समिति यह महसूस करती है कि विभाग के लिए डेयरी क्षेत्र में सफलता की कहानियों से सीखने का समय आ गया है। समिति यह चाहती है कि उसे इस संबंध में उठाए गए कदमों और विभाग द्वारा की गई प्रगति से अवगत कराया जाए।"

1.15 अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में विभाग ने निम्नवत बताया:-

"वर्ष 2021-2022 के दौरान डीएमएस को 299.84 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में 308.43 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। तदनुसार, डीएमएस के पास वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान 8.59 करोड़ रुपये का अधिशेष है। हालांकि, तुलन-पत्र के अनुसार, गैर-योजना वेतन व्यय के कारण, डीएमएस को वर्ष 2021-22 के दौरान 3.34 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

वर्ष 2020-2021 से वर्ष 2021-22 के दौरान दूध की बिक्री 1.90 एलएलपीडी (लाख लीटर प्रति दिन) से घटकर 1.5 एलएलपीडी हो जाने के संबंध में, डीएमएस प्रभावी रूप से दिल्ली को 16 क्षेत्रों में विभाजित करके अपने विपणन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए विभिन्न तरीके अपना रहा है और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स की नियुक्ति के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप (पुराने ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट को एकीकृत करके) का एक नया टेंडर शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से

डीएमएस दूध की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। इस संबंध में, डीएमएस दूध के मांग संग्रहण, प्रोत्साहन वितरण और प्रभावी विपणन के तरीकों के आधुनिकीकरण के लिए एक ईआरपी सिस्टम/सॉफ्टवेयर निविदा भी शुरू की गई है। उपरोक्त दोनों निविदाएं 31 जुलाई, 2022 तक क्रियान्वित की जाएंगी।"

1.16 दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) द्वारा दूध की बिक्री में गिरावट, इसका परिचालन बंद करने और उपभोक्ता आधार और दूध आपूर्तिकर्ताओं पर परिणामी प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए, समिति ने विभाग को वर्ष 2022-23 के दौरान दूध की बिक्री के 1.8 एलएलपीडी (लाख लीटर प्रति दिन) के बढ़े हुए लक्ष्य के संबंध में सक्रिय रूप से कार्यवाही करने के साथ-साथ कवर न किए गए क्षेत्रों में विपणन नेटवर्क का विस्तार करने और दूध वितरकों को नियुक्त करने की दिशा में काम करने की सिफारिश की थी। अपने की गई कार्रवाई उत्तर में विभाग ने बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान 3.34 करोड़ रुपये का नुकसान उठाने के बावजूद, डीएमएस दिल्ली को 16 जोनों में विभाजित करके अपने विपणन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रभावी तरीके अपना रहा है और उसके बाद वितरकों की नियुक्ति के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप की एक नई निविदा जारी कर रहा है ताकि डीएमएस दूध की बिक्री बढ़ाई जा सके। विभाग ने यह भी बताया है कि इस संबंध में मांग संग्रह, प्रोत्साहन वितरण और डीएमएस दूध के प्रभावी विपणन के तरीकों के आधुनिकीकरण के लिए एक ईआरपी सिस्टम / सॉफ्टवेयर निविदा भी शुरू की गई है और बताया है कि उपर्युक्त दोनों निविदाएं 31 जुलाई, 2022 तक लागू की जाएंगी। डीएमएस दूध की बिक्री बढ़ाने और अपने विपणन नेटवर्क का विस्तार करने में विभाग के प्रयासों को स्वीकार करते हुए, समिति उक्त लक्ष्यों की दिशा में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के अंतिम परिणाम से अवगत कराया जाए और यह भी बताया जाए कि क्या डीएमएस दूध की बिक्री बढ़ाने का लक्ष्य अब तक प्राप्त हो गया है।

ङ. <u>राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)</u>

सिफारिश सं. 6

1.17 समिति ने निम्नवत् टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना दिसंबर, 2014 में शुरू की गई थी और इसके घटकों को वर्ष 2022-23 से संशोधित और फिर से संरेखित किया गया है ताकि स्वदेशी पशु नस्लों की नस्ल सुधार, उत्पादन और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। समग्र व्यय और मवेशियों की औसत उत्पादकता में वृद्धि की दर के संबंध में इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा की गई प्रगति की सराहना करते हुए, समिति ने त्वरित नस्ल सुधार, स्वदेशी मवेशियों की नस्ल में सुधार को तेजी से ट्रैक करके उत्पादकता में सुधार के लिए ब्रीड मल्टिप्लिकेशन फार्म्स की स्थापना और किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ई-गोपाला ऐप शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभाग के प्रयासों को स्वीकार किया है। तथापि, समिति विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे प्रस्तुत न करने पाने से अप्रसन्न है। इसके अतिरिक्त, समिति यह नोट करके चिंतित है कि इस योजना के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति कम हुई। पिछले सात वर्षों के दौरान, दिसम्बर, 2014 में इसकी स्थापना के बाद से, विभाग देश में केवल 4 बुल मदर फार्मों के सुदृढ़ीकरण, 2 राष्ट्रीय कामधेनु केन्द्रों की स्थापना, कुल 7 नस्ल चयन कार्यक्रमों और 13 संतति परीक्षण कार्यक्रमों को चलाने में सक्षम रहा है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तीसरे चरण में देश भर के केवल 597 जिले ही भाग ले पाए हैं। समिति विभाग से इस योजना के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्यों के संबंध में अपने निष्पादन में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करती है और चाहती है कि इसमें की गई प्रगति से समिति को अवगत कराया जाए।"

1.18 अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में विभाग ने निम्नवत बताया**:-**

"राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत अब तक हुई प्रगति इस प्रकार है:

(i) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: प्रमुख कार्यक्रम "राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआईपी)" को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 11 सितंबर 2019 को 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान (एआई) कवरेज वाले 605 जिलों में प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम के तहत, गुणवत्तापूर्ण एआई सेवाएं किसानों के द्वार पर मुफ्त दी जाती हैं। अब तक, इस कार्यक्रम के तहत 3.31 करोड़ पशुओं को कवर किया गया है, 4.07 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और 2.16 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ii) मैत्री को शामिल करना: एआई तकनीशियनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, आरजीएम के तहत मैत्री (ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय एआई तकनीशियन) की स्थापना हेतु परियोजना शुरू की गई है। मैत्री के माध्यम से, एआई सेवाएं किसानों के द्वार तक पहुंचाई गई हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान, 13551 मैत्री को इस योजना के तहत प्रशिक्षित और शामिल किया गया है।

(iii) संतति परीक्षण और नस्ल चयन: उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के उत्पादन के लिए देश में संगठित संतति परीक्षण (पीटी) और नस्ल चयन को लागू किया गया है। इन कार्यक्रमों के तहत मुख्य रूप से देशी नस्लों के 2332 उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों को उत्पादित किया गया है और सीमन उत्पादन के लिए सीमन स्टेशनों पर शामिल किए गए हैं।

(iv) आईवीएफ का कार्यान्वयन: राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 33 आईवीएफ प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए निधियां स्वीकृत की गई हैं और 20 प्रयोगशालाओं को चालू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 13451 व्यवहार्य भ्रूणों का उत्पादन किया गया, 6393 व्यवहार्य भ्रूणों को स्थानांतरित किया गया और 1041 बछड़ों का जन्म हुआ।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत आईवीएफ तकनीक का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस घटक में अगले पांच वर्षों में 2 लाख सुनिश्चित आईवीएफ गर्भधारण की परिकल्पना की गई है। योजनान्तर्गत 5000 रुपये प्रति सुनिश्चित गर्भधारण की दर से सब्सिडी का प्रावधान उपलब्ध है।

(v) सेक्स सार्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान: 90% सटीकता के साथ केवल बछडियों के उत्पादन के लिए देश में देशी नस्लों के लिए सेक्स सार्टेड सीमन का उत्पादन शुरू किया गया है। सेक्स सार्टेड सीमन का उपयोग गेम-चेंजर होगा, यह न केवल दूध उत्पादन को बढ़ाएगा, बल्कि आवारा पशुओं की आबादी को भी सीमित करेगा। सरकारी क्षेत्र में चार सीमन स्टेशन (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश) कार्य कर रहे हैं। इन सीमन केंद्रों की वार्षिक उत्पादन क्षमता 12 लाख डोज है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सहायता प्राप्त सरकारी सीमन केंद्रों पर अब तक सैक्स सार्टिड सीमन की 21.65 लाख डोज और दुग्ध परिसंघ, गैर सरकारी संगठन और निजी सीमन स्टेशनों से 25 लाख डोज का उत्पादन किया गया है।

सेक्स सार्टेड सीमन का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम भी शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम के तहत 51 लाख गर्भधारण करवाए जाएंगे। सुनिश्चित गर्भावस्था पर 750 रुपये या सार्टेड सीमन की लागत का 50% तक की सब्सिडी किसानों को उपलब्ध कराई जाती है।"

1.19 राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) योजना के तहत विभाग द्वारा निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त न करने और विभाग द्वारा इस योजना के तहत लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) वार ब्यौरे प्रस्तुत न किए जाने पर भी असंतुष्ट होते हुए, समिति ने विभाग से इस योजना के तहत वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में अपने कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया था और समिति ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि इसे इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए। अपने की गई कार्रवाई उत्तर में विभाग ने (i) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआईपी); (ii) एमएआईटीआरआई (ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों) को शामिल करना; (iii) संतति परीक्षण और नस्ल चयन; (iv) इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) का कार्यान्वयन; और (v) सेक्स सार्टेड सीमन से के साथ कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत इसके घटकों के तहत अब तक हुई प्रगति के बारे में बताया है। तथापि,

आरजीएम के इन घटकों के अंतर्गत विभाग के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करते हुए समिति ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास इस स्कीम के अंतर्गत लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों के संबंध में विभाग द्वारा कोई जानकारी न दिये जाने को अस्वीकार किया। अतः, समिति यह चाहती है कि उसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2014 में इसकी शुरुआत से लेकर अब तक लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए और समिति यह भी चाहती है कि उसे लंबिता कम करने के लिए विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से भी अवगत कराया जाए।

छ. <u>राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)</u>

सिफारिश सं. 7

1.20 समिति ने निम्नवत् टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि कृत्रिम गर्भाधान कवरेज के साथ-साथ गैर-डिस्क्रिप्टेड मवेशियों, क्रॉसब्रीड और भैंसों की औसत उत्पादकता बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कम है और इस प्रकार, अधिक दूध उत्पादन होने के बावजूद इन राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से कम है। विभाग ने बताया है कि देश में कुल दुग्ध उत्पादन 2019-20 के दौरान 198.45 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में लगभग 210 मिलियन टन हो गया है। तथापि, समिति का मानना है कि इस मामले में औसत आंकड़े भ्रामक हैं और योजना कार्यान्वयन की जमीनी वास्तविकता का पता लगाने के लिए दुग्ध उत्पादन और कृत्रिम गर्भाधान के कवरेज के संबंध में अलग-अलग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति और निष्पादन का पता लगाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, विभाग के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान समिति को सूचित किया कि वर्ष 2014 से देश में किसानों को भुगतान की गई दूध की औसत कीमतें 30.58 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 39.47 रुपये प्रति लीटर

हो गई हैं। पशुधन किसानों की आय पर पशु नस्लों की बढ़ी हुई उत्पादकता के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, समिति विभाग को इन विशेष राज्यों में कृत्रिम गर्भाधान के कवरेज और परिणाम से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने और यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि इन राज्यों में मवेशियों की नस्लों की औसत उत्पादकता में समयबद्ध तरीके से सुधार किया जाए और इसके परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादन में वृद्धि इन राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भी लक्षित हो। समिति इस संबंध में परिणामों से अवगत होना चाहेगी।"

1.21 अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में विभाग ने निम्नवत बताया:-

"वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान दुग्ध उत्पादन, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र.सं.	राज्य	दुग्ध उत्पादन मिलियन टन में			प्रति दिन दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, ग्राम में		
		2013-14	2020-21	वृद्धि का प्रतिशत	2013-14	2020-201	वृद्धि का प्रतिशत
1	बिहार	71.97	115.02	60.63	195	260	33.33
2	कर्नाटक	59.97	109.36	83.71	272	452	66.17
3	महाराष्ट्र	90.89	137.03	51.26	219	305	39.26
4	तमिलनाडु	70.49	97.90	39.15	280	353	26.07
5	पश्चिम बंगाल	49.06	61.64	25.67	145	173	19.31
6	उत्तर प्रदेश	241.93	313.59	29.73	318	377	18.55

6	अखिल भारतीय	**137.7**	**209.95**	**52.46**	**307**	**427**	**39.08**

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि इन राज्यों में पिछले 7 वर्षों के दौरान दूध उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2013-14 और वर्ष 2020-21 के बीच के बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में दूध उत्पादन में क्रमशः 60.63%, 83.71%, 51.26%, 39.15%, 25.67% और 29.73% की वृद्धि हुई है, जबकि देश में 52.46% की समग्र वृद्धि हुई।

हालांकि, इन राज्यों में कृत्रिम गर्भाधान के कवरेज को बढ़ाने के लिए विभाग 50% से कम एआई कवरेज वाले जिलों के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम लागू कर रहा है। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में एनएआईपी चरण । और ॥ की उपलब्धि निम्नलिखित है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	एनएआईपी-। के तहत उपलब्धि (15 सितंबर 2019 से 31 मई 2020तक)			एनएआईपी-॥ के तहत उपलब्धि (1 अगस्त 2020 से 31 जुलाई 2021 तक)		
		कवर किए गए जिलों की संख्या	गर्भाधान किए गए पशुओं की संख्या	किये गये एआई की संख्या	कवर किए गए जिलों की संख्या	गर्भाधान किए गए पशुओं की संख्या	किये गये एआई की संख्या
1	बिहार	38	324209	353361	38	429616	501060
2	कर्नाटक	17	231569	292747	17	578773	782449
3	महाराष्ट्र	34	575448	590587	33	585574	672379
4	तमिलनाडु	13	347507	543100	13	640579	1015830

5	पश्चिम बंगाल	भाग नहीं लिया					
6	उत्तर प्रदेश	75	864361	1022220	75	1135879	1492741

इसके अतिरिक्त, एनएआईपी III,जो 1 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था, के तहत अब तक की उपलब्धि निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य का नाम	एनएआईपी-III के तहत उपलब्धि (1 अगस्त 2021 से 02.6.2022 तक)		
		कवर किए गए जिलों की संख्या	गर्भाधान किए गए पशुओं की संख्या	किये गये एआई की संख्या
1	बिहार	38	505530	581764
2	कर्नाटक	17	881068	1126913
3	महाराष्ट्र	33	706450	799823
4	तमिलनाडु	13	682328	891277
5	पश्चिम बंगाल	20	1080421	1209288
6	उत्तर प्रदेश	75	1316009	1624866

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

(i) एआई कवरेज को बढ़ाना: मैत्री केंद्रों की स्थापना; सीमन स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण और मौजूदा एआई तकनीशियनों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण

(ii) एचजीएम सांडों का उत्पादन: नस्ल चयन, संतति परीक्षण, जीनोमिक परीक्षण, आईवीएफ आदि

(iii) आधुनिक तकनीक द्वारा नस्ल सुधार: आईवीएफ तकनीक के माध्यम से त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम और सेक्स सार्टेडसीमन का उपयोग; और जीनोमिक चयन

(iv) 50% सब्सिडी के साथ हब एंड स्पोक मॉडल में नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापना।"

1.22 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कृत्रिम गर्भाधान कवरेज के साथ-साथ गैर-डिस्क्रिप्टेड मवेशियों, क्रॉसब्रीड और भैंसों की औसत उत्पादकता बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कम है और अधिक दूध उत्पादन होने के बावजूद इन राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से कम है, समिति ने विभाग को इन राज्यों में कृत्रिम गर्भाधान के कवरेज और परिणाम से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने और यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी कि इन राज्यों में गो पशु नस्लों की औसत उत्पादकता में समयबद्ध तरीके से सुधार किया जाए ताकि दूध उत्पादन में परिणामी वृद्धि इन राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भी लक्षित हो। अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, विभाग ने सितंबर, 2019 से जून, 2022 तक इन राज्यों में 50% से कम एआई (कृत्रिम गर्भाधान) कवरेज वाले जिलों में राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआईपी) के तीन चरणों की उपलब्धियों का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 से 2020-21 तक इन विशेष राज्यों में दूध उत्पादन और दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आंकड़ों के बीच तुलना करते हुए, विभाग ने बताया है कि पिछले 7 वर्षों के दौरान इन राज्यों में दूध उत्पादन और दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में लगातार वृद्धि हुई है। तथापि, समिति कर्नाटक को छोड़कर उपर्युक्त राज्यों के लिए दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से कम होने के मुद्दे पर विभाग द्वारा कोई जानकारी न दिये जाने से असंतुष्ट है। इसलिए समिति उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और बिहार राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से कम होने के कारणों से अवगत होना चाहती है और समिति यह भी

चाहती है कि उसे इस संबंध में प्रवृत्ति को बदलने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से भी अवगत होना चाहती है।

छ. <u>नस्ल सुधार</u>

(सिफारिश सं. 15)

1.23 समिति ने निम्नवत् टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि देश में स्वदेशी पशु नस्लों के आनुवांशिक सुधार के लिए कुल 12 नस्ल सुधार संस्थान नामत: सात केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ), एक सेंट्रल फ्रोजेन सीमेन प्रॉडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीएफएसपी एंड टीआई) और चार सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन (सीएचआर) इकाइयां हैं। सीसीबीएफ आनुवांशिक उन्नयन कार्यक्रमों के लिए उच्च नस्ल वाले सांडों के उत्पादन के उद्देश्य से मवेशियों और भैंसों के वैज्ञानिक प्रजनन में लगे हुए हैं। सीएफएसपी एंड टीआई मुख्य रूप से देश में कृत्रिम गर्भाधान (एआई) कार्यक्रमों के उपयोग के लिए सांडों की स्वदेशी, विदेशी, क्रॉसब्रीड और मुर्राह नस्लों के गोजातीय जमे (फ्रोजन) वीर्य के उत्पादन में लगा हुआ है और इसका एक उद्देश्य फ्रोजन वीर्य प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं में राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, दुग्ध संघों और अन्य संस्थानों के तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षित करना है। सीएचआरयू विशिष्ट गायों और भैंसों के पंजीकरण के लिए कार्य करते हैं और विशिष्ट गायों और नर बछड़ों के पालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं और इसका एक उद्देश्य राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) के लिए सर्वेक्षण और दूध रिकॉर्डिंग करने के लिए प्रशिक्षण कार्मिकों के लिए ब्रीडर जागरूकता/प्रचार शिविरों का सृजन करना है।

समिति यह भी नोट करती है कि ये नस्ल सुधार संस्थान अपने लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। विभाग ने वीर्य उत्पादन में कम उपलब्धि, सीएचआरएस के तहत किसानों के पंजीकरण में कमी और किसानों के जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में कमी

के लिए देश में कोविड-19 के प्रकोप को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अतिरिक्त, संस्थान पुनर्गठन और झुंड की संख्या को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया में हैं और संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार केवल शीर्ष पशुओं को ही फार्मों में रखा जा रहा है। चूंकि इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटन (बीई) में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए समिति विभाग से अपेक्षा करती है कि पशुधन फार्मों की जैव-सुरक्षा बनाए रखने और पशुधन के लिए प्रबंधन की स्थिति को बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार संस्थानों के अवसंरचना विकास के लिए यह बढ़ाया गया आबंटन पूरी तरह से विवेकपूर्ण रूप से उपयोग किया जाएगा। समिति को विभाग से यह भी अपेक्षा है कि ये नस्ल सुधार संस्थान उनके लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करे ताकि पशुधन किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जा सके।"

1.24 अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में विभाग ने निम्नवत बताया**:-**

"विभाग ने फार्म की प्रगति और कार्यकलापों की निगरानी के लिए नस्ल सुधार संस्थानों के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 के दौरान इन फार्मों के अवसंरचना विकास के लिए 18.75 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है जो फार्मों की जैव सुरक्षा और बेहतर कार्यनिष्पादन को सुनिश्चित करेगी।"

1.25 नस्ल सुधार संस्थानों के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त न किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति चाहती थी कि विभाग नस्ल सुधार संस्थानों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बढ़े हुए आवंटन का पूरी तरह और विवेकपूर्ण उपयोग करे और उनके लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, विभाग ने बताया है कि उसने फार्मों की प्रगति और गतिविधियों की निगरानी के लिए नस्ल सुधार संस्थानों के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और जैव-सुरक्षा सुनिश्चित करने और कार्यनिष्पादन में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 के दौरान इन फार्मों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 18.75 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। तथापि, समिति विभाग के उत्तर से असंतुष्ट है

और समिति यह चाहती है कि उसे वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में प्रत्येक संस्थान द्वारा की गई प्रगति के नवीनतम आंकड़ों और इन नस्ल सुधार संस्थानों में प्रत्येक के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूरी की गई जरूरतों के बारे में भी अवगत कराया जाए।

अध्याय - दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

अभ्यर्पित की गई निधियां और निधियों का पुनर्विनियोजन:

(सिफारिश संख्या 4)

समिति का मानना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए विभाग द्वारा भारी मात्रा में धन वापस कर दिया गया है। समिति इस बात से हैरान है कि जहां एक ओर विभाग बजटीय आबंटनों में वृद्धि करने के लिए लगातार कह रहा है, वहीं दूसरी ओर वह पिछले दो वर्षों से लगातार सरकार को भारी मात्रा में धनराशि अभ्यर्पित कर रहा है।

वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक विभाग द्वारा किए गए पुनर्विनियोजन की भारी मात्रा को देखते हुए, समिति ने नाराजगी के साथ आगे नोट किया कि जब पुनर्विनियोजन का ब्यौरा देने के लिए कहा गया, तो विभाग ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों से बड़ी संख्या में पुन: विनियोग आदेशों के साथ अपने लिखित उत्तरों का अंबार लगा दिया है। उचित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में विभाग की इस कठोरता को खारिज करते हुए, समिति दृढ़ता से विभाग से सिफारिश करती है कि वह समिति को सूचना प्रस्तुत करते समय समुचित ध्यान दे और यह भी सुनिश्चित करे कि प्रस्तुत की गई जानकारी की पूरी तरह से जांच की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि समिति द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर पूरी तरह से विचार किया गया है और स्पष्टता के साथ उत्तर दिया गया है। समिति विभाग को निधियों के उपयोग के अपने दृष्टिकोण को पुन निर्धारित करने और यह सुनिश्चित करने की भी सिफारिश करती है कि भारी मात्रा में निधियों को वापस करने की प्रवृत्ति को कम किया जाए ताकि बजटीय आबंटन में वृद्धि करने के लिए विभाग का अनुरोध और इस संबंध में की गई समिति की परिणामी सिफारिशें इसके बजट उपयोग की वास्तविकता के विपरीत न हों। समिति इस संबंध में परिणाम के बारे में अवगत होना चाहती है।

सरकार का उत्तर

निधियों के पुनर्विनियोजन की सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में माननीय समिति के अवलोकन के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित पुनर्विनियोजन आदेशों की प्रतियां विभाग की ओर से दिये गए उत्तर के साथ अनजाने में संलग्न की गई थीं जिससे दिया गया उत्तर भारी-भरकम हो गया तथा समिति को असुविधा हुई, उसके लिए खेद है। वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित सभी पुनर्विनियोग आदेशों की एक सूची संकलित की गई है और जो अनुबंध-I में संलग्न है। निधियों के पुनर्विनियोजन और उसे वापस सौंपने के कारण नीचे दिए गए हैं:-

<u>वित्त वर्ष 2019-20</u>: बजट अनुमान स्तर पर 3342.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और इसे संशोधित कर कम करके आरई स्तर पर 3180.27 करोड़ रु. कर दिया गया, जिसमें से विभाग केवल 3131.05 करोड़ रुपये का उपयोग कर सका जो कि वर्ष 2019-20 के संदर्भ में आरई 98.45% है। कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण, रिक्त पदों को न भरने, मितव्ययिता के उपायऔर प्रमुख रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा आरई स्तर पर बजट आवंटन में की गयी कमी के कारण, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए डीएएचडी के संबंध में अनुदान संख्या 40- के संदर्भ में 227,18,19,000/- रुपये की बचत को वित्त मंत्रालय को वापस सौंप दिया गया था।

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 95 पुनर्विनियोग आदेश जारी किए गए, जिनमें से 85 पुनर्विनियोग आदेश एनईआर राज्यों (अर्थात गैर-कार्यात्मक शीर्ष एमएच 2552 से कार्यात्मक शीर्षों तक) के लिए वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किए गए थे। कुल बजट का 10% एनईआर राज्यों के लिए गैर-कार्यात्मक शीर्ष में रखा गया है।

<u>वित्त वर्ष 2020-21</u>: बजट अनुमान स्तर पर 3704.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और इसे संशोधित कर कम करके आरई स्तर पर 3007.89 करोड़ रु. कर दिया गया, जिसमें से विभाग केवल 2967.57 करोड़ रुपये का उपयोग कर सका जो कि वर्ष 2020-21 के आरई का 98.66% है।

कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण, रिक्त पदों को न भरने, मितव्ययिता के उपायऔर प्रमुख रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा आरई स्तर पर बजट आवंटन में की गयी कमी के कारण, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए डीएएचडी के संबंध में अनुदान संख्या 40- के संदर्भ में 722,04,69,000/- रुपये की बचत को वित्त मंत्रालय को वापस सौंप दिया गया था।

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 83 पुनर्विनियोग आदेश जारी किए गए, जिनमें से 67 पुनर्विनियोग आदेश एनईआर राज्यों (अर्थात गैर-कार्यात्मक शीर्ष एमएच 2552 से कार्यात्मक शीर्षों तक) के लिए वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किए गए थे। कुल बजट का 10% एनईआर राज्यों के लिए गैर-कार्यात्मक शीर्ष में रखा गया है।

<u>वित्त वर्ष 2021-22</u>: बजट अनुमान स्तर पर 3599.98 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और इसे संशोधित कर कम करके आरई स्तर पर 3027.69 करोड़ रु. कर दिया गया, जिसमें से विभाग केवल 3008.67 करोड़ रुपये का उपयोग कर सका जो कि वर्ष 2021-22 के आरई का 99.37 % है।

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 60 (आरओ संख्या 40,47 और53 को छोड़कर) पुनर्विनियोग आदेश जारी किए गए, जिनमें से 37 पुनर्विनियोग आदेश एनईआर राज्यों (अर्थात गैर-कार्यात्मक शीर्ष एमएच 2552 से कार्यात्मक शीर्षों तक) के लिए वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किए गए थे। कुल बजट का 10% एनईआर राज्यों के लिए गैर-कार्यात्मक शीर्ष में रखा गया है।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

पत्र संख्या-25-5 (3)/2022 एएचडी (समन्वयन) दिनांक 24-06-2022]

<u>राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)</u>

(सिफारिश संख्या 6)

राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना दिसंबर, 2014 में शुरू की गई थी और इसके घटकों को वर्ष 2022-23 से संशोधित और फिर से संरेखित किया गया है ताकि स्वदेशी पशु नस्लों की नस्ल सुधार, उत्पादन और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। समग्र व्यय और मवेशियों की औसत उत्पादकता में वृद्धि की दर के संबंध में इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा की गई प्रगति की सराहना करते हुए, समिति ने त्वरित नस्ल सुधार, स्वदेशी मवेशियों की नस्ल में सुधार को तेजी से ट्रैक करके उत्पादकता में सुधार के लिए ब्रीड मल्टिप्लिकेशन फार्म्स की स्थापना और किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ई-गोपाला ऐप शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभाग के प्रयासों को स्वीकार किया है। तथापि, समिति इस योजना के अंतर्गत लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे प्रस्तुत करने में विभाग की विफलता को ध्यान में रखते हुए नाखुश है। इसके अतिरिक्त, समिति इस योजना के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी को नोट करते हुये चिंतित है। पिछले सात वर्षों के दौरान, दिसम्बर, 2014 में इसकी स्थापना के बाद से, विभाग देश में केवल 4 बुल मदर फार्मों के सुदृढ़ीकरण, 2 राष्ट्रीय कामधेनु केन्द्रों की स्थापना, कुल 7 नस्ल चयन कार्यक्रमों और 13 संतति परीक्षण कार्यक्रमों को चलाने में सक्षम रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तीसरे चरण में देश भर के केवल 597 जिले ही भाग ले पाए हैं। समिति विभाग से इस योजना के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्यों के संबंध में अपने निष्पादन में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करती है और इसमें की गई प्रगति से अवगत होना चाहती है।

सरकार का उत्तर

राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत अब तक हुई प्रगति इस प्रकार है:

(i) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: प्रमुख कार्यक्रम "राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआईपी)" को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2019 को 50% से कम

कृत्रिम गर्भाधान (एआई) कवरेज वाले 605 जिलों में प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम के तहत, गुणवत्तापूर्ण एआई सेवाएं किसानों के द्वार पर मुफ्त दी जाती हैं। अब तक, इस कार्यक्रम के तहत 3.31 करोड़ पशुओं को कवर किया गया है, 4.07 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और 2.16 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ii) मैत्री को शामिल करना: एआई तकनीशियनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, आरजीएमके तहत मैत्री (ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय एआई तकनीशियन) की स्थापना हेतु परियोजना शुरू की गई है। मैत्री के माध्यम से, एआई सेवाएं किसानों के द्वार तक पहुंचाई गई हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान, 13551 मैत्री को इस योजना के तहत प्रशिक्षित और शामिल किया गया है।

(iii) संतति परीक्षण और नस्ल चयन: उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के उत्पादन के लिए देश में संगठित संतति परीक्षण (पीटी) और नस्ल चयन को लागू किया गया है। इन कार्यक्रमों के तहत मुख्य रूप से देशी नस्लों के 2332 उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों को उत्पादित किया गया है और सीमन उत्पादन के लिए सीमन स्टेशनों पर शामिल किए गए हैं।

(iv) आईवीएफ का कार्यान्वयन: राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 33 आईवीएफ प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए निधियां स्वीकृत की गई हैं और 20 प्रयोगशालाओं को चालू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 13451 व्यवहार्य भ्रूणों का उत्पादन किया गया, 6393 व्यवहार्य भ्रूणों को स्थानांतरित किया गया और 1041 बछड़ों का जन्म हुआ।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत आईवीएफ तकनीक का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस घटक मेंअगले पांच वर्षों में 2 लाख सुनिश्चित आईवीएफ गर्भधारण की परिकल्पना की गई है। योजनान्तर्गत 5000 रुपये प्रति सुनिश्चित गर्भधारण की दर से सब्सिडी का प्रावधान उपलब्ध है।

(v) सेक्स सार्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान: 90% सटीकता के साथ केवल बछडियों के उत्पादन के लिए देश में देशी नस्लों के लिए सेक्स सार्टेड सीमन का उत्पादन शुरू किया गया है। सेक्स सार्टेड सीमन का उपयोग गेम-चेंजर होगा,यहन केवल दूध उत्पादन को बढ़ाएगा, बल्कि आवारा पशुओं की आबादी को भी सीमित करेगा। सरकारी क्षेत्र में चार सीमन स्टेशन (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश) कार्य कर रहे हैं। इन सीमन केंद्रों की वार्षिक उत्पादन क्षमता 12 लाख डोज की है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सहायता प्राप्त सरकारी सीमन केंद्रों पर अब तक सैक्स सार्टिड सीमन की 21.65 लाख डोज और दुग्ध परिसंघ, गैर सरकारी संगठन और निजी सीमन स्टेशनों से 25 लाख डोज का उत्पादन किया गया है।

सेक्स सार्टेड सीमन का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम भी शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम के तहत 51 लाख गर्भधारण करवाए जाएंगे। सुनिश्चित गर्भावस्था पर 750 रुपये या सार्टेड सीमन की लागत का 50% तक की सब्सिडी किसानों को उपलब्ध कराई जाती है।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

पत्र संख्या-25-5 (3)/2022 एएचडी (समन्वयन) दिनांक 24-06-2022]

समिति की टिप्पणी

समिति की टिप्पणी के लिए, कृपया इस प्रतिवेदन के **अध्याय-एक का पैरा सं 1.19** देखें।

<u>राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)</u>

(सिफारिश संख्या 8)

पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले मिथुन और याक जैसे दूध और मांस के अपरंपरागत स्त्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के संबंध में समिति का मानना है कि विभाग को यह

सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपाय करने की आवश्यकता है ताकि इन स्त्रोतों का सतत् दोहन किया जाए और इन अपरंपरागत स्त्रोतों के उपयोग की प्रक्रिया में इन क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन को कोई हानि न पहुंचे।

इसके अतिरिक्त, समिति का मानना है कि यद्यपि इस समय देश में उच्च आनुवांशिक गुण (एचजीएम) बुल सीमेन डोज़ की कोई कमी नहीं है, तथापि अलग-अलग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीमेन स्टेशन स्थापित करने और देश में पहले से मौजूद 20 सीमेन स्टेशनों की गे्रडिंग में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है ताकि नस्ल सुधार और स्वदेशी गोजातीय नस्लों की उत्पादकता में वृद्धि के लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। इसलिए, समिति विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उपाय करने की सिफारिश करती है कि इन लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए ताकि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। समिति इस दिशा में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2021-2026 के संशोधित और पुनर्संरेखित दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार राज्य सरकारों, पशुधन विकास बोर्डों, डेयरी सहकारी समितियों/ दुग्ध परिसंघों और एनडीडीबी के नियंत्रणाधीन देश के मौजूदा सीमन स्टेशनों को सुदृढ़ करने का कार्य कर रही है। उक्त योजना के अंतर्गत अब तक 28 वीर्य स्टेशनों के सुदृढ़ीकरण कोअनुमोदित किया जा चुका है।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

पत्र संख्या-25-5 (3)/2022 एएचडी (समन्वयन) दिनांक 24-06-2022]

<u>राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)</u>

(सिफारिश संख्या 9)

डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम फरवरी, 2014 में शुरू किया गया था और हाल ही में इसे फिर से संरेखित किया गया है और दो घटकों में विभाजित किया गया है ताकि देश में डेयरी सहकारी समितियों के लिए गुणवत्ता परीक्षण और द्रुतशीतन (चिलिंग) अवसंरचना के निर्माण पर विभाग का ध्यान केंद्रित किया जा सके। हालांकि, समिति इस बात से अप्रसन्न है कि वर्ष 2021-22 के लिए एनपीडीडी के तहत राज्यों को जारी की गई 249.52 करोड़ रुपये की राशि में से केवल 16.58 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा सका और वह भी केवल कुछ मुट्ठी भर राज्यों नामत: हिमाचल प्रदेश (11.35 करोड़ रुपये), केरल (4.37 करोड़ रुपये), मेघालय (0.27 करोड़ रुपये) और राजस्थान (0.60 करोड़ रुपये) द्वारा ही उपयोग किया जा सका। वर्ष 2021-22 के लिए एनपीडीडी योजना के तहत 232.94 करोड़ रुपये की शेष राशि अप्रयुक्त रही। इसके अतिरिक्त, विभाग ने सूचित किया है कि वर्ष 2021-22 के दौरान निधियों की कमी के कारण एनपीडीडी के तहत अतिरिक्त निधि जारी नहीं की जा सकी और यह कि विभाग ने इसके लिए अनुपूरक अनुदानों की मांग की है। हालांकि, समिति इस बात को लेकर आशंकित है कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक एनपीडीडी योजना के तहत लंबित उपयोग प्रमाणपत्र की कुल राशि 63.08 करोड़ रुपये है और विभाग को वर्ष 2022-23 के दौरान 340.01 करोड़ रुपये का आबंटन; दोनों को मिलाकर, राज्यों से परिकल्पित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रह सकता है और इस प्रकार, विभाग आरई चरण में इस योजना के तहत अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की मांग कर सकता है।

समिति ने यह भी नोट किया है कि लगभग 370 एलएलपीडी (लाख लीटर प्रतिदिन) की द्रुतशीतन (चिलिंग) क्षमता का अंतर मौजूद है और इस योजना की शुरुआत के बाद से विभाग द्वारा 36.46 एलएलपीडी की कुल क्षमता वाले केवल 2110 बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए गए

हैं। इसके अतिरिक्त, 3.20 लाख संभावित गांवों में से केवल 1.94 लाख गांवों को संगठित दूध अधिप्राप्ति के अंतर्गत शामिल किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम संबंधी स्कीम के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधित प्रगति से असंतुष्ट समिति सरकार से विभाग को आबंटन बढ़ाने की सिफारिश करती है ताकि निधियों के अभाव में योजना घटकों के कार्यान्वयन में बाधा न आए। इसके अतिरिक्त, समिति विभाग को आबंटित निधियों के समुचित उपयोग पर ध्यान केन्द्रित करने और यह सुनिश्चित करने की पुरजोर सिफारिश करती है कि लंबित राशि के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाएं। समिति को इस संबंध में विभाग द्वारा की गई प्रगति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफ़ारिश को कड़ाई से अनुपालन के लिए नोट किया जाता है। एनपीडीडी योजना के तहत, अनुमोदित परियोजना प्रावधानों के अनुसार राज्यों को परियोजना कार्यकलापों को शुरू करने के लिए अग्रिम रूप से निधियां जारी की जाती हैं।ये बल्क मिल्क कूलर, गुणवत्तापूर्ण परीक्षण सुविधाओं आदि जैसी डेयरी अवसंरचना की स्थापना संबंधी कार्यकलाप कर रहे हैं। इन कार्यकलापों के कार्यान्वयन में निधि प्राप्त करने और निविदा प्रक्रिया के निष्पादन के बाद तीसरे पक्ष के अनुबंध शामिल हैं।इसके बाद, अवसंरचना/मशीनरी/उपकरण जमीनी स्तर पर स्थापित और चालू किए गए हैं,यह सुनिश्चित करते हुए भुगतान को अंतिम रूप दिया जाता है। तत्पश्चात् व्यय को लेखा परीक्षित करवाने के बाद राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए, पिछले वित्तीय वर्ष (2021-22) के दौरान जारी की गई निधि से कार्यान्वित किए जा रहे अधिकांश परियोजना कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना बाकी है। इसलिए निधि के उपयोग की प्रतीक्षा की जा रही है।

इसके अलावा, जीएफआर 2017 के नियम 238(1) के अनुसार, उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित संस्थान या संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बारह महीनों के भीतर प्रस्तुत

किया जाना चाहिए। इस प्रकार, वर्ष 2021-22 में जारी निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2023 से देय होता है। विभाग नियत तारीख से पहले राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करेगा।

वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए योजना के तहत बजट आवंटन को बढ़ाने के मामले में विभाग लगातार वित्त मंत्रालय से संपर्क कर रहा है। हालांकि, वित्त मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धी मांगों के बीच आवंटन के लिए समग्र संसाधनों की स्थिति और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विभागों/मंत्रालयों को निधि आवंटित करता है। आरई स्तर पर मामले को फिर से वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

पत्र संख्या-25-5 (3)/2022 एएचडी (समन्वयन) दिनांक 24-06-2022]

<u>राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)</u>

(सिफारिश संख्या 10)

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) वर्ष 2014-15 में पशुधन क्षेत्र के सतत विकास के उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था, गुणवत्तापूर्ण फ़ीड और चारे की उपलब्धता में सुधार, जोखिम कवरेज, प्रभावी विस्तार, ऋण के बेहतर प्रवाह और पशुधन किसानों/पालकों के संगठन, आदि पर एनएलएम के अंतर्गत बनाए गए उप-मिशनों सहित ध्यान केंद्रित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत संशोधित उप-मिशन उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पशुधन और कुक्कुट के नस्ल विकास; प्रमाणित बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फ़ीड और चारा विकास, चारे की खेती और चारा ब्लॉक बनाने, सिलेज बनाने वाली इकाइयों आदि में उद्यमशीलता; और अनुसंधान और विकास तथा पशुधन बीमा को बढ़ावा देने के लिए नवाचार और विस्तार पर ध्यान केन्द्रित करते

हैं। तथापि, समिति वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान 'पूर्वोत्तर के लिए अभिनव सुअर विकास परियोजना' (आईपीडीपीएनई) संबंधी मापदंड के लिए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के तहत विभाग द्वारा हासिल की गई मामूली उपलब्धियों को नोटकर अप्रसन्न है। समिति ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए नए शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर जमा किए गए 5561 आवेदनों में से केवल 2523 आवेदनों को ही 'पात्र' माना गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 के साथ-साथ 2022-23 के दौरान एनएलएम संबंधी योजना के लिए आबंटन में भारी कमी आई है। एनएलएम के स्कीम कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली निधियों की कटौती के बारे में पूछे गए प्रश्न पर विभाग की चुप्पी से भी समिति निराश है। एनएलएम स्कीम के लिए किए गए अपर्याप्त वित्तीय आबंटनों के साथ-साथ वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में ढिलाई के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए समिति विभाग को पर्याप्त आबंटन प्रदान करने पर ध्यान देने के साथ-साथ योजना के अंतर्गत परिकल्पित वास्तविक लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की पुरजोर सिफारिश करती है ताकि योजना के कार्यान्वयन में बाधा न आए।

सरकार का उत्तर

योजना-वार आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा डीएएचडी को उपलब्ध बजट के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, वास्तविक एनएलएम योजना को दिनांक 14.07.2021 को अनुमोदित किया गया है। उद्यमिता जैसे नए घटक, जिसे सीधे डीएएचडी द्वारा लागू किया गया है, को पहली बार पेश किया गया है। इसलिए, एनएलएम योजना के लिए पहले दो वर्षों के लिए कम आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, वर्ष 2022-23 के दौरान निधि को और बढ़ाकर 410 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

पूर्ववर्ती एनएलएम योजना मांग आधारित थी। राज्य सरकारों ने अपनी प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया था। इसलिए, केंद्र सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के कारण, पूरे भारत में लॉकडाउन हो गया। इसलिए, राज्य निधि का उपयोग नहीं कर सके। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा मितव्ययिता उपायों के कारण बजटीय आवंटन में कमी आई थी, इसलिए राज्य केंद्रीय हिस्से का उपयोग नहीं कर सके।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

पत्र संख्या-25-5 (3)/2022 एएचडी (समन्वयन) दिनांक 24-06-2022]

<u>पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएच एंड डीसी)</u>

(सिफारिश संख्या 11)

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम पशुधन स्वास्थ्य के मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। एलएच एंड डीसी की संशोधित स्कीम के अंतर्गत, विभाग का ध्यान मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के घटक पर है जिसके तहत विभाग मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के माध्यम से किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विभाग ने सूचित किया कि इस योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां (एमवीयू) लगभग एक लाख पशुधन आबादी के लिए 1 एमवीयू की दर से प्रदान की जाएंगी, जिसमें केंद्र सरकार एमवीयू की खरीद और अनुकूलन के लिए 100% सहायता प्रदान करेगी और आवर्ती प्रचालन व्यय को पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य राज्यों के लिए 60% जबकि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह 100% साझा किया जाएगा।

एलएच एंड डीसी स्कीम के अंतर्गत देश में अब तक कुल 4332 एमवीयू संस्वीकृत किए गए हैं। तथापि, समिति यह नोट कर अप्रसन्न है कि विभाग आने वाले वर्षों में एमवीयू का नियोजन करने के साथ-साथ पशु चिकित्सकों और परा-पशु चिकित्सकों, जिनकी देश में पहले से ही भारी कमी मौजूद है, की मांग में आगामी वृद्धि को पूरा करने के लिए प्रस्तावित उपायों के संबंध में समिति के प्रश्न पर चुप रहा है। समिति इस बात से भी असंतुष्ट है कि 2016-17 से 2019-20 तक एलएच एंड डीसी योजना के तहत लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों की कुल राशि 139.84करोड़ रुपये है। इसलिए, समिति विभाग से यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपयोग प्रमाण-पत्रों के भारी मात्रा में लंबित होने से संबंधित मुद्दे पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जाए। एमवीयू में प्रशिक्षित जनशक्ति की भर्ती के संबंध में, समिति विभाग से यह भी सिफारिश करती है कि वह देश में प्रशिक्षित पशु चिकित्सा और परा-पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करे और साथ ही उन्नत देशों में पशु चिकित्सा संस्थानों में स्नातकोत्तर डिग्री और डॉक्टरेट के अवसरों जैसे प्रयासों के माध्यम से उन्हें गुणात्मक शिक्षा और अनुभव प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करे। समिति को विभाग द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

पशुपालन राज्य का विषय है। हालांकि, पर्याप्त पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पशु चिकित्सा अवसरंचना को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य/संघराज्य क्षेत्र की सरकारों को एलएचडीसीपी के घटकों के तहत निधियां प्रदान की हैं। ये निधियां राज्य की कार्य योजना और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग के आधार पर जारी की गई थीं। राष्ट्रीय समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, क्षेत्र के दौरों और वीडियो कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को लंबित

उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के संबंध में लगातार याद दिलाया जाता है। इसके अलावा, उचित कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने प्रस्ताव (वित्तीय और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट तथा निधि उपयोग प्रमाणपत्रों के साथ) अपनी राज्य निगरानी इकाइयों (एसएमयू) के माध्यम से डीएएचडी को जमा कराने आवश्यक होते हैं।

राज्य सरकारें अपने राज्यों में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल के लिए आधारभूत अवसंरचना और आवश्यक प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। देश में पशु चिकित्सा पेशेवरों के साथ-साथ पशु चिकित्सा अवसरंचना की मांग और उपलब्धता के बीच के अंतर को कम करने के लिए राज्यों को अपनी पशु चिकित्सा अवसंरचना सुदृढ़ करने की लगातार सलाह दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (पशुचिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता तथा मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) नियम, 2017 और पशुचिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानदंड (एमएसवीई) विनियम, 2016 के अनुसार भारतीय पशुचिकित्सा परिषद (वीसीआई) की सिफारिशों पर केंद्र सरकार राज्यों में सरकारी और निजी महाविद्यालयों को मान्यता भी देती है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, पशुचिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानदंड(विनियम, 2016) तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत के सभी मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। देश में पशु चिकित्सा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक संख्या में प्रशिक्षित पेशेवर प्रदान करने के लिए, वर्तमान में भारत में 54 पशुचिकित्सा कॉलेज कार्य कर रहे हैं और भारतीय पशु चिकित्सा परिषदअधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार पशु चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्नत देशों में पशुचिकित्सा संस्थानों में स्नातकोत्तर डिग्रियों और डॉक्टरेट्स के अवसरों सेसंबंधित सुझाव को नोट किया गया है और वीसीआई के परामर्श से इसकी संभावनाओंका पता लगाया जाएगा। इसके अलावा वीसीआई/एसवीसी को बतौर नोडल एजेंसी सतत पशुचिकित्सा शिक्षा (सीवीई) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और पशुचिकित्सा पेशेवरों के ज्ञान कोअपग्रेड करने के

लिए सीवीई प्रशिक्षण आयोजित करनेसंबंधी कार्यकलाप सौंपे गए हैं। यहकहना उचित होगा कि विभाग ने एलएच और डीसी योजना को संशोधित किया है और पहले की एलएच और डीसी योजना के एक घटक पीईडी के कार्यकलापों को अब एएससीएडी घटक के साथ मिला दिया गया है। प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसमें राज्यों को 100 फीसदी केंद्रीय सहायता की परिकल्पना की गई है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) को एएससीएडी घटक के तहत मौजूदा एलएच और डीसी योजना में सहायता अनुदान जारी रहेगा।पशु चिकित्सकों, पैरा-पशु चिकित्सकों, अन्य/प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रयोगशाला निदान विशेषज्ञों का प्रशिक्षण/मॉक ड्रिल आदि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सतत पशुचिकित्सा शिक्षा (सीवीई) प्रदानकरेंगे/कार्यक्रमों की व्यवस्था करेंगे।

सरकार, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी) योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देकर पशु स्वास्थ्य के प्रति उनके प्रयासों को संपूरित करती है। एलएच और डीसी के तहत, किसानों के द्वार तक पशु चिकित्सा सेवाएं लाने के लिए केंद्र सरकार वर्ष 2021-22 से मोबाइल पशुचिकित्सा इकाइयों (एमवीयूएस) की खरीद और अनुकूलन के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय निधियां प्रदान कर रही है। हालांकि आवर्ती परिचालन व्यय पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्यों के साथ 90:10 के अनुपात में; अन्य राज्यों के साथ 60% और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 100% साझा किया जाएगा। प्रत्येक एमवीयू में एक पशुचिकित्सक, एक पैरा-पशुचिकित्सक और एक चालक-सह-अटेंडेंट होगा। इन एमवीयू को पीपीपी मोड पर संचालित करने का प्रावधान है, जिसमें सरकार अवसंरचना प्रदान करेगी लेकिन सहकारिता और दूध-इकाईयों आदि सहित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जनशक्ति आउटसोर्स की जाएगी।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

पत्र संख्या-25-5 (3)/2022 एएचडी (समन्वयन) दिनांक 24-06-2022]

<u>पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएच और डीसी)</u>

(सिफारिश संख्या 12)

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित समिति के मौखिक साक्ष्य के दौरान, समिति को अवगत कराया गया कि दिल्ली और हरियाणा में आवारा कुत्तों से एकत्र किए गए नमूनों के एक बैच में कोविड -19 का प्रभाव पाया गया था, जिनमें सार्स कोव-2 एंटीजन टेस्ट पॉज़िटिव पाया गया था। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के इस निष्कर्ष से चिंतित समिति इसे पशुपालन और डेयरी विभाग के ध्यान में लाना चाहती है और सिफारिश करती है कि विभाग इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के समक्ष उठाए ताकि जानवरों में इस वायरस के प्रसार की संभावना और गैर-मानव वाहकों में इसके म्यूटेशन की संभावना के बारे में जागरूक हुआ जा सके। समिति को इस संबंध में विभाग द्वारा किए गए उपायों और 'एक स्वास्थ्य' ('वन हेल्थ') दृष्टिकोण के माध्यम से इस स्थिति से निपटने के लिए परिकल्पित कार्रवाइयों के बारे में अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

विभाग ने ओआईई द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल की तर्ज पर एवियन इंफ्लूएजा, ग्लैंडर्स, रेबीज जैसे जूनोटिक रोगों संबंधी तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और परामर्शी तैयार की है इन कार्य योजनाओं और परामर्शियों में रोग नियंत्रण और रोकथाम रणनीतियां, जनता को संवेदशील बनाना सामान्य दिशा निर्देशों के साथ-साथ सूचना के माध्यम से शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान और पशुचिकित्सकों तथा अन्य पणधारियों के लिए रोग नियंत्रण सूचना शामिल है। विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और रोग निदान में शामिल पशु

चिकित्सकों और वैज्ञानिकों कोराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे ओआईई, एफएओ, डब्लूएचओ द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित रूप से नामित किया जाता है। संशोधित एलएच और डीसी योजना के तहत, अनुसंधान और नवाचार, प्रचार और जागरूकता, प्रशिक्षण आदि के लिए आईसीएआर संस्थानों/ अन्य संस्थानों हेतु 100% वित्तीय सहायता का प्रावधान है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं, भौगोलिक परिस्थितियों, पशु आबादी के प्रकार, रोग की स्थिति और जनशक्ति की स्थिति तथा क्षमताओं समेत उपलब्ध अवसंरचना के आलोक में अनुसंधान और नवाचार, प्रचार और जागरूकता, प्रशिक्षण आदि के लिए असकैड (एएससीएडी) के तकनीकी दिशानिर्देशानुसार वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, एफएमडी और ब्रूसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) भी प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। एफएमडी के अलावा, इसमें पशुओं में सघन ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम भी शामिल है जिसमे ब्रूसेलोसिस नियंत्रण की परिकल्पना की गई है जिसके परिणामस्वरूप पशुओं और मानव दोनों में रोग का प्रभावी प्रबधंन होगा। विभाग आईसीएआर- एनआईएचएसएडी, भोपाल और आईसीएआर- एनआईवीईडीआई, बंगलोर को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है जो क्रमश: एवियन इंफ्लूएजा और ब्रूसेलोसिस जैसे रोगों की निगरानी में शामिल हैं।

बिल और मेलिंडा गेट्स फांउडेशन के सहयोग से, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) में रोग की रोकथाम, निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट (ओएचएसयू) की स्थापना की गई है। देश में पशुपालन क्षेत्र से संबंधित प्रमुख पहलुओं में नीतिगत इनपुट के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और सचिव (एएचडी) के मार्गदर्शन में ''पशु स्वास्थ्य संबंधी अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएएच)''का भी गठन किया गया है। समिति सभी साक्ष्यों और डेटा के मूल्यांकन हेतु विभाग के लिए ''थिंक टैंक''के रूप में कार्य करेगी और विश्लेषण आधारित सिफारिशें करेगीं।

विभाग ने सार्स कोव-2 के संबंध में, जीव जंतु कल्याण बोर्ड और सभी राज्यों के पशुपालन विभागों तथा अन्य पणधारियों को परामर्शी परिचालित की है जिसमें विभिन्न पशु श्रेणियों के संबंध में जोखिम मूल्यांकन, सामान्य रोकथाम और नियंत्रण, जोखिम पाथवे और जोखिम में कमी, विसंक्रमण, आहार एवं खिलाने का अभ्यास, अवशिष्ट प्रबंधन और प्रमुख संदेश शामिल हैं।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

पत्र संख्या-25-5 (3)/2022 एएचडी (समन्वयन) दिनांक 24-06-2022]

<u>पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ़)</u>

(सिफारिश संख्या 13)

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा मई, 2020 में व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और धारा 8 कंपनियों जैसी पात्र संस्थाओं द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। पशुपालन और डेयरी के अवसंरचना विकास में उद्यमशीलता और निवेश को प्रोत्साहित करने में विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति का मानना है कि यह योजना पशुधन और डेयरी क्षेत्र में मूल्य वर्धन में सहायता करेगी और इन मूल्य वर्धित पशुधन उत्पादों और पशुधन क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी पशुधन उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में सहायता करेगी। तथापि, समिति इस बात से चिंतित है कि ऑनलाइन पोर्टल पर एएचआईडीएफ के अंतर्गत प्राप्त 2534 आवेदनों में से केवल 224 आवेदनों को ही विभाग द्वारा 'पात्र' चिह्नित किया गया था। एएचआईडीएफ के तहत पात्रता के लिए विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने वाले आवेदनों की अत्यधिक कम संख्या से असंतुष्ट, समिति का मानना है कि संभावित लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति विभाग को एएचआईडीएफ पोर्टल के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और आवेदनों के संबंध में स्पष्टता प्रदान

करने के लक्ष्य को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने की सिफारिश करती है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकें और पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को मूल्यवर्धित उत्पादों और अवसंरचना को जोड़ने से लाभ मिल सके। समिति को विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

संभावित लाभार्थियों की अधिकतम संख्या को कवर करने के लिए लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए है:

1. प्रभावी कार्यान्वयन और एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र के लिए, एक ऑनलाइन पोर्टल www.ahidf.udyamimitra.in के माध्यम से योजना का डिजिटलीकरण।

2. आवेदन से लेकर ऋण के वितरण और ब्याज सबवेंशन तक की डिजिटल यात्रा शुरू से अंत तक www.ahidf.udyamimitra.in के माध्यम से ऑनलाइन है जो सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल है।

3. ऑनलाइन पोर्टल देश के ग्रामीण हिस्सों से आवेदकों को संभालने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों के अखिल भारतीय नेटवर्क के साथ एकीकृत है।

4. नस्ल वृद्धि फार्म और नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी के लिए नई श्रेणियों और कार्यकलापों, दूध परीक्षण उपकरणों और डेयरी उपकरणों का निर्माण, फ़ीड सप्लीमेंट्स / फीड एडिटिव्स का निर्माण, पशु चिकित्सा वैक्सीन और औषधि उत्पादन सुविधाओं तथा पशु अवशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अवशिष्ट प्रबंधन) को जोड़ा गया है जो पशुपालन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करेगा।

5. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को पोर्टल पर हैंड होल्डिंग एजेंसी के रूप में अधिसूचित/जोड़ा गया है।

6. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को पोर्टल पर वरीयता प्राप्त ऋणदाता के रूप में अधिसूचित/जोड़ा गया है।

7. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मॉडल प्रस्ताव तथा हैंड होल्डिंग एजेंसियों की सूची पोर्टल पर अपलोड की जाती है।

8. योजना की बेहतर पहुंच और जागरूकता के लिए, विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। क्यूआर कोड के साथ योजनाओं की पुस्तिका और इश्तहार विभिन्न अवसरों पर वितरित किए जा रहे है जिसके माध्यम से कोई भी पोर्टल से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

9. योजना के बारे में जागरूकता के लिए डेयरी संघों/ चारा संघों और मांस संघों, राज्य सरकारों और बैंकरों जैसे लोगों के लक्षित समूह के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न वेबिनार / कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जा रहा है।

10. विभिन्न राज्य सरकारों के साथ विभिन्न राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जहां माननीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य मंत्री लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए भाग ले रहे हैं।

11. पशुपालन एवं डेयरी विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, पशुपालन एवं डेयरी के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट तथा राज्य सरकारों द्वारा योजना की नियमित आधार पर निगरानी एवं समीक्षा की ऑनलाइन व्यवस्था की जाती है।

12. राज्य सरकारों से एएचआईडीएफ के लिए जागरूकता पैदा करने का अनुरोध किया गया है।

13. आम लोगों तक पहुंचने के लिए योजना दिशानिर्देशों का 13 भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

14. इस योजना को समझने के लिए आम लोगों की सुविधा के लिए वृत्तचित्र फिल्मों का विकास किया गया है।

15. लाभार्थियों से संपर्क करने के लिए बैंको द्वारा एक विशेष डेस्क स्थापित करने के लिए सूचित करने हेतु डीएफएस से अनुदेश किया गया है।

16. डीएफएस द्वारा बैंको के पास लंबित आवेदनों की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है।

17. पोर्टल पर ऋण देने वालों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एमओपी) अपलोड की गई है।

18. एएचआईडीएफ के लाभ सभी केंद्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरित किए जा रहे हैं।

19. बेहतर मॉनिटरिंग के लिए जीआईएस टैर्गिंग की जा रही है।

20. एएचआईडीएफ योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए स्टैंड अप इंडिया सहायता केंद्रों को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है।

एएचआईडीएफ योजना डेयरी, मांस और पशुआहार संयंत्रों के अवसंरचना विकास के लिए है। ये परियोजनाएं उच्च मूल्य की हैं। यहां तक कि पात्र आवेदनों की संख्या कम है, फिर भी परियोजना लागत अधिक है। आज की तिथि तक, 6238.44 करोड़ रु. परियोजना लागत के 2998 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 2998 आवेदनों में से, 5039.37 करोड़ रु. की 263 परियोजनाएं पात्र पाई गई है।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र संख्या-25-5 (3)/2022 एएचडी(समन्वयन) दिनांक 24-06-2022]

<u>पशुपालन और डेयरी के लिए किसान क्रेडिट सुविधा</u>
(सिफारिश संख्या 14)

समिति नोट करती है कि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए 55,485 करोड़ रुपये के ऋण प्रवाह का लक्ष्य देश के छह क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित के आधार पर किया गया था: (i) पशुपालन

किसानों और मात्स्यिकी (एएच एंड एफ) को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधाओं का विस्तार; (ii) गत वर्षों के दौरान उपलब्धि; (iii) बागवानी, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे उच्च मूल्य वाले कृषि कार्यकलापों के लिए ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मांग में वृद्धि और (iv) कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा गठित कृषि संबंधी आंतरिक कार्य दल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार संबद्ध कार्यकलापों पर विशेष ध्यान देना। समिति ने यह भी नोट किया है कि दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर, सभी क्षेत्रों में ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी देखी गई है।

समिति को अवगत कराया गया है कि बैंक पशुधन किसानों को ऋण प्रदान करने में संकोच कर रहे हैं जिससे ऋण की उपलब्धता की कमी हो रही है और पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में ऋण वित्तपोषण नहीं हो रहा है।समिति को यह भी अवगत कराया गया है कि संबद्ध क्षेत्र के लिए जमीनी स्तर पर ऋण (जीएलसी) लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है क्योंकि 7 करोड़ भूमि धारक किसानों में से लगभग 5 करोड़ खेती के साथ-साथ पशुपालन में लगे हैं।

समिति का यह सुविचारित मत है कि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को ऋण संवितरण में वृद्धि की जानी चाहिए। इसलिए समिति विभाग को पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को ऋण प्रवाह के लिए आबंटन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाने की और यह भी सुनिश्चित करने की सिफ़ारिश करती है कि वास्तव में इस क्षेत्र में बिना किसी बाधा के ऋण का प्रवाह हो।

सरकार का उत्तर

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में क्रेडिट संवितरण बढ़ाने के संबंध में, विभाग क्रेडिट लिंक्ड अवसंरचना विकास योजनाएं जैसे डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ),पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ), डेयरी कार्यकलापों में शामिल

डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता (एसडीसीएफपीओ) और क्रेडिट लिंक्ड उद्यमिता योजनाएं जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के तहत नस्ल वृद्धि फार्म, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत भेड़, बकरी, सुअर प्रजनक फार्म और ग्रामीण कुक्कुट में नस्ल विकास को लागू कर रहा है। देश में पशुपालन और डेयरी किसानों को नये केसीसी देने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के सहयोग से विशेष अभियान चलाया गया। वर्तमान में विभाग डीएफएस के सहयोग से दिनांक 15.11.2021 से 31.07.2022 तक राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान चला रहा है।

इसके अलावा, विभाग ने वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) से पशुपालन और डेयरी के लिए कृषि-क्रेडिट लक्ष्य हेतु सावधि ऋण घटक के तहत, एएचडी किसानों के लिए निर्धारित लक्ष्य की तर्ज पर कार्यकारी पूंजीगत क्रेडिट लक्ष्य के लिए अलग से निधियां निर्धारित करने का अनुरोध किया है।

ऋण देने वाले संस्थानों को विशिष्ट लक्ष्य देकर पशुपालन और डेंयरी क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा ठोस उपाय किये जा रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा सभी क्षेत्रों ने वर्ष 2021-22 (अनंतिम) के दौरान पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में क्रेडिट संवितरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुवार, वर्ष 2021-22 (अनंतिम) के दौरान क्षेत्र-वार उपलब्धि नीचे दी गई है:-

(राशि करोड़ रु. में)

क्षेत्र	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**% प्राप्ति**
उत्तरी क्षेत्र	6,514	11,797	181.12
पश्चिमी क्षेत्र	9,441	10,409	110.26
केंद्रीय क्षेत्र	7,620	9,563	125.50

दक्षिणी क्षेत्र	20,385	48,904	239.90
पूर्वी क्षेत्र	8,574	16,016	186.80
पूर्वोत्तर क्षेत्र	2,952	2,521	85.38
सकल योग	**55,485**	**99,210**	**178.80**

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

पत्र संख्या-25-5 (3)/2022 एएचडी (समन्वयन) दिनांक 24-06-2022]

अध्याय - तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय - चार

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं

निधियों का उपयोग और लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र:

(सिफारिश संख्या 3)

हालांकि वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक ब.अ. के संबंध में निधियों का प्रतिशत उपयोग पर्याप्त प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी समिति वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 617.90 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि की भारी मात्रा का संज्ञान लेते हुये चिंतित है। समिति यह महसूस करती है कि मांग आधारित होने के बावजूद, विभाग की योजनाओं का राज्य-वार कार्यनिष्पादन असंगत बना हुआ है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में राशि अप्रयुक्त रह जाती है। इसके अतिरिक्त, बजटीय आबंटनों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौजूदा निगरानी तंत्र और योजना कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने को ध्यान में रखते हुए समिति का मानना है कि विभाग की ओर से इस तरह के ईमानदार उपायों के बावजूद भारी अव्ययित शेष राशि निश्चित रूप से दृष्टिकोण में खामियों की ओर इशारा करती है। योजनाओं के बुनियादी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जन प्रतिनिधियों (सांसदों, विधायकों) और स्थानीय स्व-शासन आदि को शामिल करने के लिए विस्तार और क्षमता निर्माण की पहलों के संबंध में विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति का मानना है कि अनुवर्ती तंत्र के स्तर पर कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की सिफारिश करती है कि योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मौजूदा उपायों को त्रुटि रहित बनाया जाए ताकि राज्यों के पास भारी मात्रा में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के लंबित रहने के

मामले में वांछित परिणाम प्राप्त हो सकें। समिति यह भी चाहती है कि उसे इस संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

समिति की अनुशंसा को, कड़ाई से अनुपालन हेतु नोट किया गया है। विभाग आवंटित निधि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और कार्यान्वयन एजेंसियों को राष्ट्रीय समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय दौरों और वीडियो सम्मेलनों के माध्यम से लगातार याद दिलाया जा रहा है कि लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों को शीघ्र प्रस्तुत करें और साथ ही निधि जारी करने के लिए भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए ताकि विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र संख्या-25-5 (3)/2022 एएचडी (समन्वयन) दिनांक 24-06-2022]

समिति की टिप्पणी

समिति की टिप्पणी के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के **अध्याय-I का पैरा सं 1.13** देखें।

अध्याय - पाँच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

बजटीय आबंटन के अनुपात की तुलना में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र का योगदान-

(सिफारिश संख्या 1)

समिति नोट करती है कि अर्थव्यवस्था में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र का योगदान वर्ष 2014-15 और 2019-20 के बीच 8.15% की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) पर बढ़ा है और संबद्ध क्षेत्र का योगदान कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास का एक प्रमुख वाहक रहा है। समिति ने यह भी नोट किया कि दूध, मांस और अंडे के कुल उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक इन वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में लगातार वृद्धि का दावा किया गया है।समिति का मानना है कि समग्र विकास और उत्पादन में यह निरंतरता पशुपालन और डेयरी विभाग के लगातार प्रयासों का परिणाम है। महामारी की स्थिति के कारण हाल के वर्ष में अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की विकास दर में गिरावट को देखते हुए, समिति को यह जानकर प्रसन्नता है कि देश में पशुधन क्षेत्र ने 7.9% की सकारात्मक विकास दर को बनाए रखा है। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने में विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए, समिति ने कहा कि डेयरी क्षेत्र महामारी के कारण उत्पन्न संकट के बावजूद अपने विकास और उत्पादन में निरंतर बना हुआ है। हालांकि, समिति ऊन उत्पादन की ऋणात्मक विकास दर को नोट करके निराश है, जिसने वर्ष 2019-20 के दौरान 9.10% की ऋणात्मक वृद्धि दर्शायी है।

पशुपालन और डेयरी विभाग के लिए बजटीय आबंटन में वृद्धि जो कि वर्ष 2021-22 में 3599.98 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 4288.84 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो केंद्रीय परिव्यय का लगभग 0.11% है, को ध्यान में रखते हुए समिति यह भी पाती है कि हालांकि,

मात्रात्मक, पिछले वर्ष की तुलना में आबंटन में 688.86 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, लेकिन प्रतिशत के रूप में यह वृद्धि केवल 0.01% है। इसके अतिरिक्त, हाल ही के रूझान के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र की तुलना में संबद्ध क्षेत्र की समग्र वृद्धि अधिक होने से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबद्ध क्षेत्र की निरंतरता और क्षमता न केवल किसानों की आय में वृद्धि कर रही है बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रही है। समिति को मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि सं.अ. स्तर पर कुल परिव्यय में विभाग का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2019-20 में 0.12% से घटकर वर्ष 2020-21 में 0.09% और वर्ष 2021-22 में 0.08% हो गया है। समिति सं.अ. स्तर पर आबंटन में कमी की इस प्रवृत्ति से चिंतित है और वह चाहती है कि विभाग वर्ष 2022-23 के लिए सं.अ. स्तर पर विभाग के लिए आबंटन में वृद्धि करने के लिए वित्त मंत्रालय पर जोर दे। समिति विभाग से ऊन उत्पादन में समान वृद्धि सुनिश्चित करने की भी सिफारिश करती है और चाहती है कि वे इस क्षेत्र के योगदान को ध्यान में रखते हुए विभाग को निधि आबंटन बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ कार्रवाई करने के लिए ठोस कदम उठाए। समिति यह चाहती है कि उसे इस संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

भारतीय भेड़ की नस्ल के सजातीय प्रजनन के कारण ऊन उत्पादन के साथ-साथ ऊन की गुणवत्ता में कमी आ रही है। अच्छे ऊन का उत्पादन भी कम हो रहा है और भारत वस्त्र उद्योग के लिए अच्छे ऊन की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है। समस्या को हल करने के लिए, संकर नस्ल तैयार करने की आवश्यकता है जो अच्छे ऊन का उत्पादन करेगी। विभाग ने जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा ऑस्ट्रेलिया से बहुउद्देशीय मेरिनो भेड़ के आयात की अनुमति दी है ताकि नस्ल उन्नयन के लिए किसानों के बीच जर्मप्लाज्म का प्रचार किया जा सके। चूंकि भेड़ उत्पादन ऊन उत्पादन बढ़ाने का एकमात्र तरीका है, विभाग ने अन्य राज्यों द्वारा

विदेशी भेड़ के आयात का प्रावधान रखा है। इसके अलावा, विभाग राज्यों को उन पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा अन्य ऊन उत्पादक भेड़ के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जहां इस तरह की ऊन उत्पादक भेड़ों के पालन के लिए अनुकूल जलवायु है।

विभाग अलग-अलग व्यक्तियों, एफपीओ, एसएचजी, जेएलजी, एफसीओ, धारा 8 कंपनियों द्वारा बड़े ब्रीडर फार्म की स्थापना को भी क्रियान्वित कर रहा है, जिसके लिए विभाग राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 50 लाख रुपये तक के लिए 50% की सब्सिडी प्रदान कर रहा है। यदि इस प्रकार के ब्रीडर फार्म स्थापित हो जाते हैं, तो देश में ऊन उत्पादन में वृद्धि होगी।

एनएलएम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के अलावा, अलग-अलग व्यक्तियों, एफपीओ, एमएसएमई, निजी कंपनियां और धारा 8 कंपनियां भी एएचआईडीएफ के तहत आधुनिक तकनीकों के साथ भेड़ फार्म की स्थापना हेतु लाभ उठा सकती हैं, जिसके लिए विभाग 3% ब्याज राजसहायता प्रदान कर रहा है। कपड़ा मंत्रालय देश में ऊन उत्पादकों को ऊन के लिए विपणन और प्रसंस्करण सहायता भी प्रदान कर रहा है।

उपरोक्त सभी समन्वित दृष्टिकोण से देश में ऊन उत्पादन में वृद्धि होगी।

देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विभाग माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री तथा सचिव,एएचडी के स्तर पर विभाग के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने हेतु वित्त मंत्रालय के साथ गंभीरता से और लगातार मामले को उठा रहे है।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र संख्या-25-5 (3)/2022 एएचडी (समन्वयन) दिनांक 24-06-2022]

समिति की टिप्पणी

समिति की टिप्पणी के लिए, कृपया इस प्रतिवेदन के **अध्याय-I का पैरा सं 1.7** देखें।

<u>मांगों का विश्लेषण:</u>

(सिफारिश संख्या 2)

समिति ने पाया कि सं.अ. वर्ष 2021-22 की तुलना में ब.अ. वर्ष 2022-23 में बजटीय आबंटन में 40.4% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 के दौरान ब.अ. आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की सराहना करते हुए, समिति वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक विभाग के प्रस्तावित आबंटनों में उत्तरोत्तर गिरावट को नोट करके अप्रसन्न है, जो बजटीय आबंटन बढ़ाने के लिए विभाग की निरंतर मांग के विपरीत है। समिति वर्ष 2019-20 के बाद से ब.अ. की तुलना में सं.अ. स्तर पर अत्यधिक कटौती की निरंतर प्रवृत्ति से भी चिंतित है। समिति इस बात से अप्रसन्न है कि सं.अ. स्तर पर आबंटनों में इस प्रकार की कटौती से संसाधनों की कमी के कारण विभाग के वास्तविक लक्ष्यों में संशोधन हुआ है। हितधारकों के साथ परामर्श और योजना आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद विधिवत नियोजित और तर्कसंगत बजट प्रस्ताव तैयार करने के बावजूद, विभाग को वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक सभी वर्षों के लिए ब.अ. और सं.अ. स्तर दोनों में लगातार भारी बजट कटौती का सामना करना पड़ा है। इसी प्रकार, वर्ष 2022-23 के लिए 5590.11 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आबंटन को ब.अ. स्तर पर घटाकर 4288.84 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मौखिक साक्ष्य के दौरान विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए सं.अ. स्तर पर आबंटन का पूरी तरह से उपयोग किए जाने की उम्मीद है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बजट में भारी कटौती के कारण विभाग की योजनाओं के वास्तविक लक्ष्यों में संशोधन किया गया है, समिति यह महसूस करती है कि सं.अ. स्तर पर कटौती की प्रवृत्ति को कम करने की आवश्यकता है ताकि निधियों के अभाव में विभाग का कार्य-निष्पादन प्रभावित न हो। अत: समिति सरकार से सिफारिश करती है कि वह सं.अ. स्तर पर, विशेष रूप से वर्ष 2022-23 के लिए आबंटन करने से पहले अपनी कार्यनीति का पुन: आत्मनिरीक्षण करे और इस स्तर पर बजटीय आबंटन में कटौती करने से बचे। समिति विभाग

को वर्ष 2022-23 के पहले भाग में अपने कार्यनिष्पादन में सुधार करने और सं.अ. स्तर पर भारी कटौती से बचने के लिए बजटीय आबंटन के लिए यथार्थवादी प्रस्ताव प्रदान करने की भी सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

समिति की अनुशंसा को कड़ाई से अनुपालन हेतु नोट किया गया है। विभाग के लिए बजट आवंटन बढ़ाने के मामले के संबंध में विभाग लगातार वित्त मंत्रालय से संपर्क कर रहा है ताकि वह वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने और विभाग की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी सक्षम हो सके। हालांकि, वित्त मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धी मांगों के बीच, आवंटन के लिए समग्र संसाधनों की स्थिति और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विभागों/मंत्रालयों को निधि आवंटित करता है।

विभाग आवंटित निधि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और सं.अ. स्तर पर भारी कटौती से बचने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के पहले भाग में अपने कार्यनिष्पादन में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। इस मामले को सं.अ. स्तर पर फिर से वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
पत्र संख्या-25-5 (3)/2022 एएचडी (समन्वयन) दिनांक 24-06-2022]

समिति की टिप्पणी

समिति की टिप्पणी के लिए, कृपया इस प्रतिवेदन के **अध्याय-I का पैरा सं 1.10** देखें।

<u>क्षेत्र-वार विश्लेषण:</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 5)

समिति नोट करती है कि विभाग के योजना क्षेत्रों के लिए वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आबंटन में वृद्धि हुई है, जबकि गैर-योजना शीर्ष में छोटे पशुधन संस्थानों और दिल्ली दुग्ध योजना के लिए आबंटन पिछले वर्ष की तुलना में कम कर दिया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि योजना शीर्ष में पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के क्षेत्रों के लिए आबंटनों में विकास कार्यक्रमों और अवसंरचना विकास निधियों के क्षेत्रों की तुलना में अधिकतम 36.05% की वृद्धि देखी गई है। समिति, हालांकि, बढ़े हुए आबंटनों के उपयोग के संबंध में विभाग की योजना पर संतोष व्यक्त करती है लेकिन वह दूध की बिक्री 1.90 एलएलपीडी (लाख लीटर प्रति दिन) से घटकर 1.5 एलएलपीडी (लाख लीटर प्रति दिन) होने के संबंध में दिल्ली दुग्ध योजना खराब कार्यनिष्पादन को नोट करके क्षुब्ध है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्ति जोकि वर्ष 2020-21 में 350.16 करोड़ रुपये थी वर्ष 2021-22 में घटकर 304.00 करोड़ रुपये तक रह गई है। समिति डीएमएस के उपभोक्ता आधार पर डीएमएस प्रचालनों को बंद करने और बिहार दुग्ध परिसंघ से दूध की आपूर्ति पर भी प्रस्तावित नीति परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और भी क्षुब्ध है। डीएमएस के संबंध में इन घटनाओं को देखते हुए, समिति विभाग को वर्ष 2022-23 के दौरान दूध बिक्री लक्ष्य को 1.8 एलएलपीडी तक बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने के साथ-साथ विपणन नेटवर्क का विस्तार करने और कवर किए गए क्षेत्रों में दूध वितरकों की नियुक्ति के लक्ष्य को और तेज़ी से आगे बढ़ाने की सिफारिश करती है। समिति यह महसूस करती है कि विभाग के लिए डेयरी क्षेत्र में सफलता की कहानियों से सीखने का समय आ गया है। समिति यह चाहती है कि उसे इस संबंध में उठाए गए कदमों और विभाग द्वारा की गई प्रगति से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

वर्ष 2021-2022 के दौरान डीएमएस को 299.84 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में 308.43 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। तदनुसार, डीएमएस के पास वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान 8.59 करोड़ रुपये का अधिशेष है। हालांकि, तुलन-पत्र के अनुसार, गैर-योजना वेतन व्यय के कारण, डीएमएस को वर्ष 2021-22 के दौरान 3.34 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

वर्ष 2020-2021 से वर्ष 2021-22 के दौरान दूध की बिक्री 1.90 एलएलपीडी (लाख लीटर प्रति दिन) से घटकर 1.5 एलएलपीडी हो जाने के संबंध में, डीएमएस प्रभावी रूप से दिल्ली को 16 क्षेत्रों में विभाजित करके अपने विपणन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए विभिन्न तरीके अपना रहा है और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स की नियुक्ति के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप (पुराने ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट को एकीकृत करके) का एक नया टेंडर शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से डीएमएस दूध की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। इस संबंध में, मांग संगहण, प्रोत्साहन वितरण और डीएमएस दूध के प्रभावी विपणन के तरीकों के आधुनिकीकरण के लिए एक ईआरपी सिस्टम/सॉफ्टवेयर निविदा भी शुरू की गई है। उपरोक्त दोनों निविदाएं 31 जुलाई, 2022 तक क्रियान्वित की जाएंगी।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

पत्र संख्या-25-5 (3)/2022 एएचडी (समन्वयन) दिनांक 24-06-2022]

समिति की टिप्पणी

समिति की टिप्पणी के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के **अध्याय-I का पैरा संख्या 1.16** देखें।

<u>राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम):</u>

(सिफारिश संख्या 7)

समिति ने नोट किया है कि कृत्रिम गर्भाधान कवरेज के साथ-साथ गैर-डिस्क्रिप्टेड मवेशियों, क्रॉसब्रीड और भैंसों की औसत उत्पादकता बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कम है और इस प्रकार, अधिक दूध उत्पादन होने के बावजूद इन राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से कम है। विभाग ने सूचित किया है कि देश में कुल दुग्ध उत्पादन वर्ष 2019-20 के दौरान 198.45 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में लगभग 210 मिलियन टन हो गया है। तथापि, समिति का मानना है कि इस मामले में औसत आंकड़े भ्रामक हैं और योजना कार्यान्वयन की जमीनी वास्तविकता का पता लगाने के लिए दुग्ध उत्पादन और कृत्रिम गर्भाधान के कवरेज के संबंध में अलग-अलग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति और निष्पादन का पता लगाना आवश्यक है। इसके अलावा, विभाग के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान समिति को सूचित किया कि वर्ष 2014 से देश में किसानों को भुगतान की गई दूध की औसत कीमत 30.58 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 39.47 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं। पशुधन किसानों की आय पर पशु नस्लों की बढ़ी हुई उत्पादकता के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, समिति विभाग को इन विशेष राज्यों में कृत्रिम गर्भाधान के कवरेज और परिणाम से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने और यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि इन राज्यों में मवेशियों की नस्लों की औसत उत्पादकता में समयबद्ध तरीके से सुधार किया जाए और इसके परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादन में वृद्धि इन राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भी लक्षित हो। समिति इस संबंध में परिणामों से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान दुग्ध उत्पादन, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र.सं.	राज्य	दुग्ध उत्पादन मिलियन टन में			प्रति दिन दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, ग्राम में		
		2013-14	2020-21	वृद्धि का प्रतिशत	2013-14	2020-201	वृद्धि का प्रतिशत
1	बिहार	71.97	115.02	60.63	195	260	33.33
2	कर्नाटक	59.97	109.36	83.71	272	452	66.17
3	महाराष्ट्र	90.89	137.03	51.26	219	305	39.26
4	तमिलनाडु	70.49	97.90	39.15	280	353	26.07
5	पश्चिम बंगाल	49.06	61.64	25.67	145	173	19.31
6	उत्तर प्रदेश	241.93	313.59	29.73	318	377	18.55
6	अखिल भारतीय	**137.7**	**209.95**	**52.46**	**307**	**427**	**39.08**

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि इन राज्यों में पिछले 7 वर्षों के दौरान दूध उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2013-14 और वर्ष 2020-21 के बीच के बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में दूध उत्पादन में क्रमशः 60.63%, 83.71%, 51.26%, 39.15%, 25.67% और 29.73% की वृद्धि हुई है, जबकि देश में 52.46% की समग्र वृद्धि हुई।

हालांकि, इन राज्यों में कृत्रिम गर्भाधान के कवरेज को बढ़ाने के लिए विभाग 50% से कम एआई कवरेज वाले जिलों के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम लागू कर रहा है। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में एनएआईपी चरण । और ॥ की उपलब्धि निम्नलिखित है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	एनएआईपी-I के तहत उपलब्धि (15 सितंबर 2019 से 31 मई 2020तक)			एनएआईपी-II के तहत उपलब्धि (1 अगस्त 2020 से 31 जुलाई 2021 तक)		
		कवर किए गए जिलों की संख्या	गर्भाधान किए गए पशुओं की संख्या	किये गये एआई की संख्या	कवर किए गए जिलों की संख्या	गर्भाधान किए गए पशुओं की संख्या	किये गये एआई की संख्या
1	बिहार	38	324209	353361	38	429616	501060
2	कर्नाटक	17	231569	292747	17	578773	782449
3	महाराष्ट्र	34	575448	590587	33	585574	672379
4	तमिलनाडु	13	347507	543100	13	640579	1015830
5	पश्चिम बंगाल	भाग नहीं लिया					
6	उत्तर प्रदेश	75	864361	1022220	75	1135879	1492741

इसके अलावा, एनएआईपी III, जो दिनांक 1 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था, के तहत अब तक की उपलब्धि निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य का नाम	एनएआईपी-III के तहत उपलब्धि (दिनांक 1 अगस्त 2021 से 02.6.2022 तक)		
		कवर किए गए जिलों की संख्या	गर्भाधान किए गए पशुओं की संख्या	किए गए एआई की संख्या
1	बिहार	38	505530	581764
2	कर्नाटक	17	881068	1126913
3	महाराष्ट्र	33	706450	799823
4	तमिलनाडु	13	682328	891277
5	पश्चिम बंगाल	20	1080421	1209288
6	उत्तर प्रदेश	75	1316009	1624866

इसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

(i) एआई कवरेज को बढ़ाना: मैत्री केंद्रों की स्थापना; सीमन स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण और मौजूदा एआई तकनीशियनों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण

(ii) एचजीएम सांडों का उत्पादन: नस्ल चयन, संतति परीक्षण, जीनोमिक परीक्षण, आईवीएफ आदि

(iii) आधुनिक तकनीक द्वारा नस्ल सुधार: आईवीएफ तकनीक के माध्यम से त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम और सेक्स सार्टेड सीमन का उपयोग; और जीनोमिक चयन

(iv) 50% सब्सिडी के साथ हब एंड स्पोक मॉडल में नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापना।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

पत्र संख्या-25-5 (3)/2022 एएचडी (समन्वयन) दिनांक 24-06-2022]

समिति की टिप्पणी

समिति की टिप्पणी के लिए, कृपया इस प्रतिवेदन के **अध्याय-I का पैरा सं 1.22** देखें।

<u>नस्ल सुधार</u>

(सिफारिश संख्या 15)

समिति नोट करती है कि देश में स्वदेशी पशु नस्लों के आनुवांशिक सुधार के लिए कुल 12 नस्ल सुधार संस्थान नामत: सात केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ), एक सेंट्रल फ्रोजेन सीमेन प्रॉडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीएफएसपी एंड टीआई) और चार सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन (सीएचआर) इकाइयां हैं। सीसीबीएफ आनुवांशिक उन्नयन कार्यक्रमों के लिए उच्च नस्ल वाले सांडों के उत्पादन के उद्देश्य से मवेशियों और भैंसों के वैज्ञानिक प्रजनन में लगे हुए हैं। सीएफएसपी एंड टीआई मुख्य रूप से देश में कृत्रिम गर्भाधान (एआई) कार्यक्रमों के उपयोग के लिए सांडों की स्वदेशी, विदेशी, क्रॉसब्रीड और मुर्राह नस्लों के गोजातीय जमे (फ्रोजन) वीर्य के उत्पादन में लगा हुआ है और इसका एक उद्देश्य फ्रोजन वीर्य प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं में राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, दुग्ध संघों और अन्य संस्थानों के तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षित करना है। सीएचआरयू विशिष्ट गायों और भैंसों के पंजीकरण के लिए कार्य करते हैं और विशिष्ट गायों और

नर बछड़ों के पालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं और इसका एक उद्देश्य राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) के लिए सर्वेक्षण और दूध रिकॉर्डिंग करने के लिए प्रशिक्षण कार्मिकों के लिए ब्रीडर जागरूकता/प्रचार शिविरों का सृजन करना है।

समिति ने यह भी नोट किया है कि ये नस्ल सुधार संस्थान अपने लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। विभाग ने वीर्य उत्पादन में कम उपलब्धि, सीएचआरएस के तहत किसानों के पंजीकरण में कमी और किसानों के जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में कमी के लिए देश में कोविड-19 के प्रकोप को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अतिरिक्त, संस्थान पुनर्गठन और झुंड की संख्या को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया में हैं और संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार केवल शीर्ष पशुओं को ही फार्मों में रखा जा रहा है। चूंकि इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटन (बीई) में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए समिति विभाग से अपेक्षा करती है कि पशुधन फार्मों की जैव-सुरक्षा बनाए रखने और पशुधन के लिए प्रबंधन की स्थिति को बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार संस्थानों के अवसंरचना विकास के लिए यह बढ़ाया गया आबंटन पूरी तरह से विवेकपूर्ण रूप से उपयोग किया जाएगा। समिति को विभाग से यह भी अपेक्षा है कि इन नस्ल सुधार संस्थानों को उनके लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए ताकि पशुधन किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जा सके।

सरकार का उत्तर

विभाग ने फार्म की प्रगति और कार्यकलापों की निगरानी के लिए नस्ल सुधार संस्थानों के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के दौरान इन फार्मों के अवसंरचना विकास के लिए 18.75 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है जो फार्मों की जैव सुरक्षा और बेहतर कार्यनिष्पादन को सुनिश्चित करेगी।

[मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

पत्र संख्या-25-5 (3)/2022 एएचडी (समन्वयन) दिनांक 24-06-2022]

समिति की टिप्पणी

समिति की टिप्पणी के लिए, कृपया इस प्रतिवेदन के **अध्याय-I का पैरा सं 1.25** देखें।

नई दिल्ली;
06 दिसम्बर, 2022
15 अग्रहायण, 1944 (शक)

पी.सी. गद्दीगौडर
सभापति
कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

*****

समिति की बैठक मंगलवार, 15 नवंबर, 2022 को 1100 बजे से 1245 बजे तक समिति कक्ष संख्या 3, ब्लॉक ए, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी.सी. गद्दीगौडर – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ए. गणेशमूर्ति
3. श्री कनकमल कटारा
4. श्री देवजी पटेल
5. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
6. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
7. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

8. श्री मस्थान राव बीडा
9. डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे
10. श्री एस. कल्याणसुन्दरम
11. श्री कैलाश सोनी
12. श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला
13. श्री राम नाथ ठाकुर

सचिवालय

1.	श्री शिव कुमार	-	अपर सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक
4.	श्री प्रेम रंजन	-	उप सचिव
5.	श्री एन. अमरत्यागन	-	अवर सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की बैठक में समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष के निदेशानुसार, लार्डिस समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा ताकि सदस्यों को शोध में बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण की दिशा में की गई नई पहलों, संसद ग्रंथालय में नई पहल, संसद ग्रंथालय के समृद्ध संसाधनों/भंडार के बारे में जागरूकता पैदा करना, प्राइड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से अवगत कराया जा सके। तत्पश्चात, लार्डिस के अधिकारियों ने पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया।

3. तत्पश्चात समिति ने निम्नलिखित की गई कार्रवाई प्रतिवेदन पर विचार किया:

*(i)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
*(ii)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
*(iii)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
*(iv)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

(v) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर समिति के चालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में प्रारूप की-गई कार्रवाई प्रतिवेदन

*(vi)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

4. कुछ विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने प्रारूप की-गई कार्रवाई प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया और समिति ने सभापति को इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और संसद में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।

*5. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*6. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*7. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*8. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

*** मामला इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।**

<u>परिशिष्ट</u>

(देखिए प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा *4*)

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (*2021-22) (17*वीं लोकसभा) के चालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(i)	सिफारिशों की कुल संख्या	15
(ii)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है सिफारिश संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14	
	कुल	09
	प्रतिशतता	60%
(iii)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती सिफारिश संख्या: शून्य	
	कुल	00
	प्रतिशतता	00.00%
(iv)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं सिफारिश संख्या: 3	
	कुल	01
	प्रतिशत	6.66%
(v)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं सिफारिश संख्या: 1, 2, 5, 7 और 15	
	कुल	05
	प्रतिशत	33.33%